खण्ड-452, अंक-3
मंगलवार, 26 माघ, शक संवत् 1926
(15 फरवरी, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से संबंधित श्री राजू पाल, सदस्य, विधान सभा की हत्या के प्रकरण को नियम-311 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	2-46
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी0 वी0 नरसिंहराव के निधन पर शोकोद्गार ...	46-48
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम सुभग वर्मा, डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्रीमती शकुन्तला नायर, श्री इकबाल अहमद, श्री तेज बहादुर गंगवार, श्री राम आधार यादव, श्रीमती प्रभा द्विवेदी, श्री अखलाक हाजी, श्रीमती धनेश्वरी देवी, श्री लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री दौलतराम तथा श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी के निधन पर शोकोद्गार	48-51
दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में आये सुनामी तूफान में काल कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक-प्रस्ताव (स्वीकृत)	51-52
महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले में स्थित कालूबाई मंदिर में हुई दुर्घटना में काल कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक-प्रस्ताव (स्वीकृत)	52
अतारांकित प्रश्न संख्या-67 के त्रुटिपूर्ण उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न ...	52-54
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	54
जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के मध्य आवागमन हेतु पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद खीरी के पैला क्षेत्र में जानकी देवी कन्या इण्टर कालेज बांकेगंज को अनुदान दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55-56
मेरठ में सेन्ट्रल बैंक इम्प्लाइज सैलरी आनर्स कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किये जाने की जांच कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57

विषय	पृष्ट-संख्या
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस (23 जनवरी) को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद गाजीपुर के सदन क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मचारियों की समस्याओं का निदान किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58-59
जनपद सुल्तानपुर की लक्ष्मणपुर कालोनी में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल समस्या का निदान किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	60
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु निर्धारित दिनों की संख्या कम किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	60-63
महामहिम राज्यपाल के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री की कथित टिप्पणी पर औचित्य का प्रश्न	63-64
श्री उदयभान सिंह, सदस्य, विधान सभा को पैरोल पर रिहा किये जाने की सूचना ...	64
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	65-67
नेयम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	67-95
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	95
नेयम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	95-96

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-337

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4-अजय कुमार, डा0 — बागपत
5-अजय राय, श्री — वाराणसी
6-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
7-अताउल रहमान, श्री — बरेली
8-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
9-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
10-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
11-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
13-अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
14-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
15-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
16-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
17-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
18-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
19-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
20-अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
21-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
22-अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
23-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
24-अमरमणि, श्री — महराजगंज
25-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
26-अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
27-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
28-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
31-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
33-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
34-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
35-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
36-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
37-आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
38-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
39-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
40-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
42-आशीष यादव, श्री — बदायूं
43-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
44-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
45-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46-इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
47-इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
48-उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
49-उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
50-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
51-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
52-उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
53-ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर

54-ओमकार सिंह यादव,श्री बदायूं
55-ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
56-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
57-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
58-ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
59-ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
60-कपिल देव यादव, श्री मऊ
61-कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
62-कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
63-कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
64-कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
65-कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
66-काशीराम, श्री रामपुर
67-किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
68-किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
69-किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
70-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
71-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
72-कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
73-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
74-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
75-कैलाश, श्री गाजीपुर
76-कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
77-कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
78-कौकब हमीद खां, श्री [illegible]
79-कौशल किशोर, श्री खीरी
80-कौशल किशोर, श्री लखनऊ
81-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
82-गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
83-गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
84-गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
85-घूरा राम, श्री बलिया
86-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
87-चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
88-चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
89-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
90-चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
91-छेदी राम, श्री गाजीपुर
92-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
93-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
94-जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
95-जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
96-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
97-जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
98-जगदीश सोनकर,श्री जौनपुर
99-जगन् प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
100-जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
101-जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
102-जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
103-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
104-जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
105-जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
106-जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
107-जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
108-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
109-डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
110-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
111-दयाराम, श्री कौशाम्बी
112-दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
113-दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
114-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
115-दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
116-दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
117-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
118-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

119-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
120-देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
121-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
122-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
123-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
124-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
125-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
126-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
127-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
128-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
129-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
130-धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
131-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
132-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
133-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
134-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
135-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
136-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
137-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
138-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
139-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
140-नारद राय, श्री — बलिया
141-परमजीत, श्री — मुजफ्फरनगर
142-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
143-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
144-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
145-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
146-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री — झांसी
147-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
148-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
149-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
150-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
151-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
152-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
153-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
154-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
155-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
156-फागू, श्री — मऊ
157-बंशीधर राज, श्री — खीरी
158-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
159-बाबूराम, एम0काम0, श्री — जालौन
160-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
161-बाबू लाल, चौधरी — आगरा
162-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
163-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
164-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
165-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
166-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
167-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
168-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
169-ब्रम्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
170-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
171-भरत सिंह, श्री — बलिया
172-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
173-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
174-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
175-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
176-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
177-मदन भैया, श्री — बागपत
178-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
179-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
180-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
181-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
182-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
183-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर

184-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अर्लागढ़
185-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
186-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
187-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
188-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
189-मान पाल सिंह, श्री — एटा
190-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
191-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
192-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
193-मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
194-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
195-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
196-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
197-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
198-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
199-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
200-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
201-मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
202-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
203-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
204-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
205-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
206-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
207-याकूब, हाजी — मेरठ
208-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
209-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
210-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
211-रणवीर राणा, श्री — मेरठ
212-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
213-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
214-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
215-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
216-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
217-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
218-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
219-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
220-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
221-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
222-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
223-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
224-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
225-राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
226-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
227-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
228-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
229-राजेश कुमार, श्री — खीरी
230-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
231-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
232-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
233-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
234-राम किशुन, श्री — वाराणसी
235-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
236-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
237-राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
238-रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
239-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
240-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
241-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
242-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
243-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
244-रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
245-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
246-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर

247-राम मगन, श्री बाराबंकी
248-राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
249-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
250-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
251-राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
252-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
253-राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
254-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
255-रामहेत, श्री सीतापुर
256-रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
257-रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
258-रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
259-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
260-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
261-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
262-लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
263-लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
264-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
265-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
266-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
267-विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
268-विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
269-विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
270-विद्या सागर गुप्ता,श्री लखनऊ
271-विनय शाक्य, श्री औरैया
272-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
273-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
274-विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
275-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
276-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
277-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
278-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
279-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
280-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
281-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" शाहजहांपुर
282-वीरेन्द्र सिंह,श्री वाराणसी
283-वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
284-वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
285-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
286-शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
287-शम्सवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
288-शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
289-शाकिर अली, श्री देवरिया
290-शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
291-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
292-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
293-शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
294-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
295-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
296-शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
297-शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
298-शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
299-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
300-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
301-शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
302-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
303-श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
304-श्याम नारायन, श्री महराजगंज
305-श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
306-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
307-श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
308-श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
309-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
310-संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
311-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
312-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ

313-सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
314-सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
315-समरपाल सिंह, श्री	बागपत
316-सियाराम सागर, डा0	बरेली
317-सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
318-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
319-सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
320-सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
321-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
322-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
323-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
324-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
325-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
326-सुल्तान बेग, श्री	बरेली
327-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
328-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
329-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
330-सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
331-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
332-हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
333-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
334-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
335-हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
336-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
337-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- सिंचाई मंत्री श्री मुन्ना सिंह चौहान, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री श्री बनवारी सिंह यादव, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम आसरे विश्वकर्मा भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से संबंधित श्री राजू पाल, सदस्य, विधान सभा की हत्या के प्रकरण को नियम-311 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। इलाहाबाद में विधायक राजू पाल और उनके दो सहयोगियों की जिस तरीके से हत्या हुई है उससे पता चलता है कि पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पूरे प्रदेश में गुण्डों-माफियाओं का राज हो गया है। मैंने नियम-311 में सूचना दी है मेरा कहना है कि इस सूचना को गम्भीरता से लिया जाए, इसको स्वीकार करें और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। पूरा प्रदेश जल रहा है। प्रदेश की समस्याएं रखने वाले ही सुरक्षित नहीं रह गये हैं।

(बसपा तथा भाजपा के अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में शोर उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में नोटिस दी है। आप निधन के निर्देश देने के बाद उसे स्वीकार कर लें। वह पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था से संबंधित है। उससे माननीय सदस्य को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी मौर्या जी की कानून-व्यवस्था से संबंधित सूचना को निधन के निर्देश के बाद कार्यस्थगन के रूप में ले लूंगा और उसमें आपकी और माननीय सदस्य की बात सुनूंगा।

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार सहित बसपा के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार-

मान्यवर, एक विधायक की हत्या हुई है और हम लोग चाहते हैं कि नियम-311 में आप इसे स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

श्री डी0 प्रसाद जी आप पढ़े-लिखे हैं। आप नियम-311 पढ़ें, अगर यह उसमें आती हो तो हम सुन लेंगे। इसको शून्य प्रहर में हम सुनने के लिये ले लेंगे।

(वेल में खड़े सदस्यगण शान्त नहीं हुए और नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 ले रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ने हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट

**1-श्री आर0 एस0 कुशवाहा, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा श्री गया चरण दिनकर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत जोड़ने हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

सरकारी सेवकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित) के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग एवं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि को वेतन में संविलीन किये जाने एवं उसके परिणामी लाभों के विषय में विचार कर संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3-ई0एम0/2004-का-4-2004, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 द्वारा गठित समिति को रिपोर्ट देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री आर0 एस0 कुशवाहा का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री घूराराम, श्री रामशंकर पाल, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री इन्द्रजीत सरोज के साथ बसपा के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन मे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर पहले सदन तो व्यवस्थित करायें।

(बसपा के माननीय सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। आप लोग बैठ जायें।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वित्तविहीन कालेजों का शिक्षण शुल्क बैंक में जमा कराये जाने का प्रस्ताव

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन कालेजों का शिक्षण शुल्क छात्रों द्वारा बैंक में जमा कराये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब से लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करायें।

श्री अध्यक्ष-

कोई प्रश्न नहीं कर रहा है इसलिये मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

*2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[1ले बुधवार के ता0 प्र0 सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर की समस्या के निराकरण हेतु कार्य योजना

*3-डा0 अजय कुमार-

क्या लघु सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर निरन्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भू-गर्भ के गिरते जल स्तर की समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

जी हां। प्रदेश में भू-गर्भ जल की बढ़ती हुई मांग व अनियंत्रित दोहन के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में भू-जल स्तर में गिरावट का आंकलन किया गया है।

प्रदेश में भू-जल स्तर में आ रही गिरावट की समस्या के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से किये जा रहे हैं :-

(1) वर्षा जल संग्रहण एवं भू-जल सम्भरण हेतु सरल एवं सस्ती तकनीक अपनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

(2) शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण एवं भू-जल सम्भरण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना कार्यान्वित की जा रही है। शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धति स्थापित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(3) प्रदेश में परम्परागत जल स्रोतों के संदर्धन एवं जीर्णोद्धार की योजना चलाई जा रही है।

(4) प्रदेश के बुन्देलखण्ड तथा अन्य स्थानों पर भी वर्षा जल संग्रहण एवं भू-जल सम्भरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अवरोध बांधों (चेक डैम्स) का निर्माण कराया जा रहा है।

(5) ग्रामीण पेयजल योजना की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का 25 प्रतिशत भू-जल सम्भरण/जल संचयन हेतु मात्राकृत किया जा रहा है। त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों में स्वीकृत धनराशि का 5 प्रतिशत स्रोतों के स्थायित्व पर व्यय किया जा रहा है।

(6) संबंधित विभागों द्वारा कराये जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-गर्भ जल सम्भरण से संबंधित कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की "कार्यकारी समिति" द्वारा किया जा रहा है।

(7) प्रदेश में भू-जल संचयन एवं सम्भरण की विभिन्न योजनाओं के समन्वय, भू-जल अनुसंधान, अन्वेषण, प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को नोडल विभाग

तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भू-गर्भ जल निदेशालय को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।

(8) वर्षा जल संचयन एवं भू-जल सम्भरण की विधियां स्थापित करने हेतु जनता को उचित सलाह एवं मार्ग निर्देश उपलब्ध कराने हेतु निजी सलाहकारों/संस्थाओं को पंजीकृत किया जा रहा है।

(9) प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन, कृत्रिम-भू-गर्भ जल सम्भरण योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत प्लान तैयार करने, विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(10) भू-गर्भ जल के महत्व और उस पर आसन्न संकट को देखते हुये इसके संरक्षण, प्रबन्धन, विवेकयुक्त उपभोग एवं विकास तथा विनियमित दोहन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 10 जून को "भू-जल दिवस" के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(11) जल क्षेत्र के समग्र विकास एवं सुधार हेतु सिंचाई विभाग द्वारा विश्वबैंक पोषित उ0 प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना क्षेत्र इमामगंज ब्रांच उपबेसिन (1.87 लाख हेक्टेयर) तथा कानपुर ब्रांच उपबेसिन (5.48 लाख हेक्टेयर) में 200 स्थलों पर वर्षा जल संचयन एवं भू-जल सम्भरण का कार्य प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब देने पर एवं माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित करायें। हम कैसे प्रश्न को पूछ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को मैंने कह दिया है कि शून्य प्रहर में मैं सुन लूंगा। आप लोग वापस अपने स्थान पर जायें।

(नारे लगते रहने पर घोर व्यवधान)

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया है। 11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 11 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक और बड़ा दिया है। 12 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।)

नोटः-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश के नर्सरी स्कूलों में फीस का मानकीकरण व शिक्षक/शिक्षिकाओं की अर्हता एवं वेतन के सम्बन्ध में निर्धारित मानक

*4-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न नर्सरी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं तथा वसूली जाने वाली फीस का मानकीकरण तथा उनमें कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की न्यूनतम योग्यता तथा नियमित न्यूनतम वेतन आदि निर्धारित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

विभिन्न नर्सरी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं तथा वसूली की जाने वाली फीस एवं उनके कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं की अर्हता एवं वेतन आदि के सम्बन्ध में मानक पूर्व से ही निर्धारित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कक्षा-8 तक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की कार्य योजना

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0 प्र0 में कक्षा-8 तक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित एवं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है।

प्रदेश के इन सभी विद्यालयों में समान शिक्षा प्रणाली भी तद्नुसार लागू है। शिक्षकों की अर्हताएं भी निर्धारित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पिछड़े, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चें गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करें।

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सार्वभौम नामांकन, बच्चों के विद्यालयों में ठहराव एवं छात्र/छात्राओं के सम्प्राप्ति दर के उन्नयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने सम्बन्धी योजना

*6-डा0 सुशील चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से 15-35 वयवर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने की कार्य योजना है।

प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 15-35 वयवर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। गत वर्षों में उपरोक्त कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जनपदों को चरणबद्ध रूप से आच्छादित किया जा चुका है।

प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर साक्षरता 56.30 प्रतिशत है जो वर्ष 1991 की जनगणना में प्राप्त साक्षरता प्रतिशत से 15.59 प्रतिशत अधिक है। साक्षरता प्रतिशत में और अधिक वृद्धि के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रदेश शासन की भागीदारी से वर्तमान में संचालित कार्यक्रमों को पूर्ण करने एवं सभी चिन्हित निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने की रणनीति/कार्य योजना तैयार की है, जिसे जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*7-डा0 रामबाबू हरित-

[2सरे सोमवार के ता0प्र0सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-बलिया व लखनऊ की मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

*8-श्री रामकरन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया व जनपद-लखनऊ को मिड-डे-मील योजना के तहत कितना धन वर्ष 2004 में दिया गया है ? क्या यह सही है कि मिड-डे-मील योजना के तहत खाद्यान्न का वास्तविक वितरण न कराकर उसका भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर की जा रही अनियमितताओं पर रोक लगाने एवं दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

मिड-डे-मील योजनान्तर्गत जनपद-बलिया को वर्ष 2004 में रु0 1,27,01,795.30 की धनराशि दी गयी है जनपद-लखनऊ में वर्ष 2004 में रु0 1,55,06,958.41 की धनराशि दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों के शौचालयों का गन्दा पानी बोर करके घरों पर पहुंचाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

*9-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महानगरों, नगरों, कस्बों एवं ग्रामीण अंचलों में लोगों के द्वारा शौचालय का गन्दा पानी एवं मल जमीन में बोर करके पहुंचाया जा रहा है जिससे प्रदूषित जल पीने से लोगों में भयंकर बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 टेक0 परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होने की जांच

*10-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बी0 टेक0 परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना की जांच करायी गयी ? क्या इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां। उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नपत्रों के रखरखाव एवं वितरण की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2004 में कन्या विद्याधन का वितरण

*11-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत बीस हजार रुपये देने की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो इसके वितरण का मानक क्या है ? क्या मानक के आधार पर धनराशि का वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रु0 200 करोड़ का माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टर परीक्षा 2004 में उत्तीर्ण बालिकाओं में वितरण प्रस्तावित है। अभिभावकों की आय के न्यूनतम स्तर से प्रारम्भ करके उस सीमा तक वितरण प्रस्तावित है, जब तक सम्पूर्ण धनराशि वितरित न हो जाए।

जी हां।

पात्रता सूची बनाने के बाद।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डाला की कतिपय ग्राम सभाओं में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

1-श्री रामनाथ-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-21 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा मेवापुर, मुतालके

देवगांव की शेष असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु कोई राजकीय नलकूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार चौ0 चरण सिंह योजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभा में जनहित में एक राजकीय नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चल रहे परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

2-श्री संजीव दरियावादी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चल रहे परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालय की श्रेणी में माना गया है ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय कार्य कर रहे हैं ? क्या ऐसे परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सहायता प्राप्त विद्यालयों की अपेक्षा अन्य सुविधायें भी शासन द्वारा दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण, भवनों के रख-रखाव हेतु वार्षिक अनुदान, टीचर ग्रान्ट/विद्यालय भवनों/अतिरिक्त कक्षों के निमार्ण हेतु वित्त की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुलन्दशहर की अनूपशहर ब्रांच नहर के किठौर राजवाहे के टेल तक पानी पहुंचाने व सफाई व्यवस्था की मांग

3-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर की अनूपशहर ब्रांच नहर से निकले किठौर राजवाहे में विगत 10 वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जबकि कृषकों से सिंचाई कर वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजवाहे की सफाई तथा पानी टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। प्रश्नगत राजवाहे की कुल लम्बाई 60.43 कि0मी0 है जिसमें विगत 10 वर्षों में आंशिक लम्बाई में पानी पहुंचा है।

राजवाहे में उपलब्ध कराये गये जल के विरुद्ध उक्त फसली वर्ष में जहां-जहां पानी पहुंचा है, उसी कुलाबे तक की वास्तविक सींच दर्ज की गई है।

किठौर राजबाहा अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 63.450 बायें किनारे से निकलता है। इसकी कुल लम्बाई 60.430 है। इस राजवाहे की परिकल्पित क्षमता 284 क्यूसेक्स रह गयी है। विगत दस वर्षों में अधिकतम 47.060 कि0मी0 तक ही पानी पहुंचा। खरीफ 1412 में कि0मी0 53.00 तक पानी पहुंचाया जा चुका है। रोस्टर के अनुसार रबी 1412 फसली में भी कि0मी0 53.00 तक पानी पहुंचाने का प्राविधान रखा गया है। धन की उपलब्धता के अनुसार सफाई कार्य तथा राजबाहे को वास्तविक क्षमता व जल की उपलब्धता के अनुसार पानी पहुंचाये जाते हैं। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में कौशिल्या भारत सिंह गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढुई पट्टी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की स्थापना की मांग

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- प्रतापगढ़ स्थित कौशिल्या भारत सिंह गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढुई पट्टी को वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय की स्थापना हेतु मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम0/109895/04, दिनांक 22-9-04 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में अनुरोध को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में राजकीय बालिका इण्टर कालेजों के सहायक अध्यापिकाओं के वेतन से भविष्य निधि की कटौती

5-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजीपुर की तहसील जमानियां में कुल कितने राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं ? क्या इन विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के वेतन से भविष्य निधि की कटौती की जाती है ? परन्तु उनकी पास बुक अभी तक नहीं बनाई गई है ? कटौती की गई धनराशि को पास बुक में अंकित कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर कराये जायेंगे ? यदि हां, तो उक्त पास बुक कब तक बना दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में कुल 03 राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं।

कार्यरत अध्यापिकाओं के भविष्य निधि की कटौती नियमित की जाती है तथा उनकी पासबुकों में कटौती की धनराशि वित्तीय वर्ष में अंकित की जाती है। सम्बन्धित से पासबुक में हस्ताक्षर कराये जाते हैं।

सभी अध्यापकों की पासबुक बनायी गयी है।

जनपद गाजीपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति की मांग

6-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजीपुर में कितने राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं और उनमें से कितने कालेजों में प्रधानाचार्या के पद आठ वर्षों से अधिक समय से रिक्त

चल रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों पर प्रधानाचार्या की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

गाजीपुर जनपद में कुल 07 राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं तथा 06 कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद विगत लगभग आठ वर्षों से रिक्त चल रहे हैं।

श्रेणी-दो के अधिकारियों की पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। प्रोन्नत होने पर प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में अंग्रेजी हिन्दी एवं गृह विज्ञान प्रवक्ता के रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

7-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में अंग्रेजी, हिन्दी एवं गृह विज्ञान प्रवक्ता के अलग-अलग कितने पद रिक्त हैं, उनमें से कितने पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं ? प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों को कब तक प्रोन्नति द्वारा भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में अंग्रेजी के 41, हिन्दी के 56 एवं गृह विज्ञान के 22 पद रिक्त हैं। इनमें से अंग्रेजी के 24, हिन्दी के 29 एवं गृह विज्ञान के 12 पद प्रोन्नति कोटे के रिक्त हैं।

प्रोन्नति द्वारा उक्त पदों को लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से चयनित सूची प्राप्त होने पर भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर अनूपशहर ब्रांच नहर की उत्तरी पटरी पर स्यानागढ़ मार्ग को लेपन स्तर तक कराने की मांग

8-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर अनूपशहर ब्रांच नहर की उत्तरी पटरी पर स्यानागढ़ मार्ग किमी0 87.29 से गाजियाबाद की तरफ 90.6 किमी0 तक 3.3 किमी0 पटरी कच्ची है ? यदि हां, तो उक्त पटरी को लेपन स्तर तक कराने हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर शाखा नहर की उत्तरी पटरी पर स्यानागढ़ मार्ग किमी0 87.290 से गाजियाबाद की ओर कि0मी0 90.600 तक 3.310 कि0मी0 पटरी कच्ची है।

उक्त पटरी को लेपन स्तर तक कराने हेतु अभी धन उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पदों पर बी0 एड0 प्रशिक्षितों के तत्काल नियुक्ति किये जाने की मांग

9-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं तथा क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने की क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों पर बी0 एड0 प्रशिक्षितों को तत्काल नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

प्रदेश के प्राईमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 76405 एवं प्रधानाध्यापकों के 15,319 पद रिक्त हैं जिन्हें भरने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की प्राइमरी पाठशाला कटरौली सोहावल में गरीब बच्चों के पौष्टिक आहार के वितरण में धांधली की जांच

10-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कौशल किशोर, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र सं0-ख-2 636049, दिनांक 14-12-04 एवं पत्र सं0 क-1089889, दि0 14-12-04 जो जनपद-फैजाबाद की प्राइमरी पाठशाला कटरौली सोहावल में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा गरीब बच्चों के पौष्टिक आहार के वितरण में धांधली आदि की जांच सतर्कता विभाग से कराने से सम्बन्धित था, मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित था जिसकी प्रति मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को भेजी गयी थी, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक (बे0) को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की प्राइमरी पाठशाला कटरा के भवन निर्माण रोके जाने के मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश रिक्त कराने का प्रयास

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 2437/पी0एस0 एम0एस0/लखनऊ दिनांक 13-7-2000, जो प्राइमरी पाठशाला कटरा बांदा के भवन के सम्बन्ध में था, तत्कालीन बी0एस0 ए0/नगर शिक्षा अधिकारी की उदासीनता के कारण न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारियों ने स्थगन आदेश को वैकेट कराये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रयास नहीं किये ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित/पेंशन/वेतन रोके जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

सिविल न्यायालय, बांदा में विचाराधीन वाद सं0 37/98 में मा0 न्यायालय द्वारा प्राइमरी पाठशाला कटरा के नवीन भवन का निर्माण रोके जाने हेतु स्थगन आदेश दिया गया है।

स्थगनादेश रिक्त कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वाद न्यायालय में योजित है। पैरवी की जा रही है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय सिंचाई कार्यशाला, झांसी, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

12-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या राजकीय सिंचाई कार्यशाला, झांसी, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में कार्यरत 20 सालों से अधिक समय से कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

सिंचाई कार्यशाला खण्ड झांसी एवं इलाहाबाद में 20 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है, जबकि बरेली, कानपुर, गोरखपुर सिंचाई कार्यशाला खण्डों में क्रमशः 3, 3 एवं 1 कर्मचारी स्थाई किया जाना अवशेष है।

जनवरी, 2005 के पूर्व कर दिया गया है।

अवशेष 7 कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

जनपद-उन्नाव, विकास खण्ड औरास के ग्राम-मुसलावां में शिक्षामित्र के चयन में की गयी धांधली सम्बन्धी पत्र

13-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद-उन्नाव विकास खण्ड औरास के अन्तर्गत ग्राम मुसलावां में शिक्षा मित्र के चयन में की गई धांधली की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-7-2004 पर प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा वांछित कार्यवाही कराकर एक माह में अवगत कराने हेतु जिलाधिकारी, उन्नाव को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच में कौन लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव/कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा, के आर्य कन्या इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या द्वारा श्री नर्मदा प्रसाद की माली के पद पर नियुक्ति की जांच

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, बांदा की प्रधानाचार्या ने श्री नर्मदा प्रसाद को कालेज में माली की नियुक्ति दिखाकर अपनी निजी कार को ड्राइव कराती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

15-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जिस अनुपात में जू0हा0 स्कूल खोले जाने की व्यवस्था पिछले तीन वर्षों से की गयी है ? उसी अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मंत्री जी इस कमी को अतिरिक्त शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके पूरी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2003-2004 तक कुल 8652 जू0 हा0 स्कूल स्थापित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष्य 22710 शिक्षकों की नियुक्ति का व्यवस्था की गई है। शेष के लिये कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा मित्रों को कार्ययोजित करने की वर्तमान में कोई नीति नहीं है।

जनपद-शाहजहांपुर में स्वीकृत जू0 हा0 स्कूलों की संख्या एवं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

16-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले तीन वर्षों से शाहजहांपुर जनपद मे कितने जू0 हा0 स्कूल स्वीकृत किये गये ? इन नये स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार क्या शिक्षकों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं तो इस विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मा0 मंत्री जी प्राइमरी स्कूलों की तरह जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने के लिये शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2003-2004 तक कुल 166 जूनियर हाईस्कूल स्वीकृत किये गये थे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों में पद सृजन की कार्यवाही विचारधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षा मित्र नियुक्त करने की नीति नहीं है।

जनपद इलाहाबाद, फाफामऊ में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय खोले जाने विषयक प्राप्त पत्र

17-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद में बी0 एड0 एवं विधि विषय खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-12-2004 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उल्लिखित पत्र में किया गया प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया में नियुक्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

18-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया में कितने ऐसे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो विगत कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें स्थानान्तण नीति के अन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद बलिया में कोई भी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एक विकास खण्ड में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है।

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सामान्यतया स्थानान्तरण किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उटता।

बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा में शिक्षक/शिक्षिकाएं व कर्मचारी (पति-पत्नी) दोनों द्वारा मकान किराया भत्ता लेने की जांच

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा में ऐसे कितने शिक्षक/शिक्षिकाएं तथा कर्मचारी हैं, जो (पति-पत्नी) हैं, और दोनों ही मकान किराया भत्ता ले रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि बेसिक शिक्षा कार्यालय, बांदा से श्री मुन्नीलाल गुप्ता, लिपिक के पिछले दो वर्षों से जनपद-महोबा में स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी उनसे पूरा चार्ज नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुन्नीलाल गुप्ता, लिपिक से पूर्व में ही पूरा चार्ज लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा, ग्राम जारी में नियुक्त सहायक अध्यापिका श्रीमती सुफिया बानों की नियुक्ति तथा देय वेतन की जांच

20-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाटशाला ग्राम जारी, जनपद-बांदा में सहायक अध्यापिका श्रीमती सुफिया बानो वर्ष 1990 से वर्ष 1993 तक पाटशाला से फरार रहीं, किन्तु क्षेत्र के सहायक बी0 एस0 ए0 की मदद से वेतन बराबर लेती रही ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सहायक बी0 एस0 ए0 ने उपस्थिति रजिस्टर में एक पिछली तारीखों में हस्ताक्षर बनवा दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सुफिया बानों की सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति दिनांक 17 फरवरी, 1997 को हुई थी, अतएव इन्हें वर्ष 1990 से वर्ष 1993 तक के वेतन भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद-आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र-मेंहनगर में खुन्दनपुर ड्रेन की खुदाई एवं निर्माण कार्य पुनः शुरू किये जाने की मांग

21-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ में खुन्दनपुर ड्रेन की खुदाई एवं निर्माण कार्य न होने से कई गांवों में जल जमाव हो गया है जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि बेकार हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई एवं निर्माण का कार्य पुनः कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

शासन में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा केवल ट्रंक ड्रेनों की ही खुदाई/सफाई करायी जाती है। प्रश्नगत ड्रेन, ट्रंक ड्रेन के श्रेणी में नहीं आती है।

जनपद सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र एवं वि0 खण्ड दुबेपुर एवं कुड़वार में जर्जर पड़े प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों के नवीन भवन बनाये जाने की मांग

22-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र एवं वि0 खण्ड दुबेपुर तथा वि0 खण्ड कुड़वार में कितने प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं, जिनके भवन जर्जर हो गये हैं ? क्या सरकार इन विद्यालयों के नवीन भवन बनाये जाने हेतु धन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र एवं विकास खण्ड दुबेपुर तथा कुड़वार में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल जिनके भवन जर्जर हैं उनकी संख्या निम्नवत् है :-

वि0 ख0/नगर	प्रा0 वि0	जू0 हा0
नगर क्षेत्र सुल्तानपुर	3	2
वि0 खण्ड दुबेपुर	26	1
वि0 खण्ड कुड़वार	47	8
योग :	76	11

जी हां।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय स्थानों पर स्वीकृत पक्की सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव

23-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर में महेसरगंज से बन्धुआ खलेसरपुर विकास खण्ड दुबेपुर तथा सिंचाई डाक बंगला भांटी होता पट्टी पुल से हकुआ होते दाऊदपुर तक शारदा सहायक नहर पटरी (जौनपुर ब्रान्च) पर पक्की सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। प्रश्नगत प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है, अपितु विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तरप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रदेश सरकार की ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना

24-डा0 अजय कुमार-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन देने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विषय सिंचाई विभाग से संबंधित नहीं है।

जनपद-अम्बेडकर नगर अन्तर्गत जहांगीरगंज रजबहा के टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

25-श्री जयराम विमल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के अभियान के अन्तर्गत जहांगीरगंज रजबहा अम्बेडकरनगर के टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त रजबहे में कब तक टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जहांगीरगंज रजबहा की कुल लम्बाई 62.760 कि0मी0 में से 58.500 तक पानी पहुंच गया है, रजबहे पर टेल तक पानी न पहुंचने का मुख्य कारण इसकी क्षमता में ह्रास होना है। रजबहे को रोस्टरिंग करके टेल तक पानी पहुंचाने की नीति के अन्तर्गत एक सप्ताह में टेल तक पानी पहुंचाने का निर्देश प्रमुख अभियन्ता (सिविल), सिंचाई विभाग को दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

घाघरा नदी की बाढ़ से कटान रोकने हेतु निर्देश

26-श्री जयराम विमल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की भीटी माइनर की टेल का पानी घाघरा नदी में गिरने से वहां हो रही कटान को रोकने हेतु कोई पक्की ठोकर बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

भीटी माइनर की टेल के पानी से कोई कटान नहीं हो रही है। घाघरा नदी की बाढ़ से कटान होती है, जिसे रोकने हेतु आवश्यक निर्देश प्रमुख अभियन्ता (सिविल) को दे दिये गये हैं।

शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय शादीपुर जनपद अम्बेडकरनगर के भवन निर्माण की मांग

27-श्री जयराम विमल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बसखारी के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय शादीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के भवन का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां, विकास खण्ड बसखारी की ग्राम पंचायत ढेकवा बहाउद्दीनपुर के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किया गया जिसका निर्माण ग्राम शादीपुर में गाटा सं0-45 पर करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसके संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्माण करवाने पर रोक लगा दी गयी। तत्पश्चात् ग्राम

पंचायत द्वारा इसी ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय काजीपुर के परिसर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त दिनांक 04-02-2005 को प्रारम्भ करा दिया गया है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के सभी महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराये जाने पर विचार

28-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोरखपुर जनपद के सभी महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने पर विचार कर रही है ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद के कुछ महाविद्यालयों ने छात्रसंघ चुनाव कराने से इन्कार किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जनपद के सभी महाविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव कब तक सम्पन्न करा लिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

सेंट एण्ड्रूज कालेज, गोरखपुर एवं श्यामेश्वर डिग्री कालेज, सिकरीगंज, गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है तथा जव्वाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स डिग्री कालेज, गोरखपुर व नेशनल पी0 जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर ने इस सम्बन्ध में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

परीक्षायें सन्निकट होने के कारण अब वर्तमान शिक्षा सत्र में चुनाव कराना समीचीन नहीं है। आगामी शैक्षणिक सत्र में यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

29-श्री नवाब सिंह नागर-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली खोले जाने संबंधी नीति

30-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ की गयी है ? अभी तक कितने दूरस्थ विभाग अध्ययन केन्द्र खोले गये हैं तथा इनके खोलने के क्या मानक हैं ? क्या उक्त के अन्तर्गत बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 के श्री अध्ययन केन्द्र खोलने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो इसमें प्रयोगात्मक कार्य किस प्रकार होंगे ? क्या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

599 अध्ययन केन्द्र।

इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रमुख विश्वविद्यालयों में चलाये जा हरे दूरस्थ शिक्षा के मानक तय किया है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय ने बी0एस0सी0, एवं एम0एस0सी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ न किये जाने का निर्णय लिया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद-आजमगढ़ के मेहनगर में ग्राम-विजयीपुर आदि में नाले की खुदाई, पुलिया तथा पक्के नाले के निर्माण

32-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा विजयीपुर, हड़ौरा, देवराजपुर में नाले की खुदाई, पुलिया निर्माण, पक्के नाले का निर्माण न होने के कारण ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में नाले की खुदाई, पुलिया निर्माण एवं पक्के नाले का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

अभी प्रश्नगत ग्रामों में नाले के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत कार्य के सर्वेक्षण कराने के निर्देश शासन द्वारा दे दिये गये हैं।

जनपद-आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र-मेंहनगर में ग्राम पकड़िया से मंगई नदी तक ड्रेन की खुदाई

33-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ में ग्राम पकड़िया से मंगई नदी तक 45.00 कि0मी0 ड्रेन की खुदाई न होने के कारण वहां के कई ग्रामों में कई एकड़ कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

शासन में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा केवल ट्रंक ड्रेनों की ही खुदाई/सफाई करायी जाती है। प्रश्नगत ड्रेन ट्रंक ड्रेन के श्रेणी में नहीं आती है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया व लखनऊ के स्वीकृत धनराशि व उसका व्यय

34-श्री राम करन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया व लखनऊ को कितनी धनराशि विगत दो वर्षों में शासन से प्राप्त हुयी है ? उक्त धनराशि को विद्यालयवार मरम्मत, नये स्कूलों के निर्माण, साज-सज्जा, गाड़ी तथा अन्य मदों में कितनी खर्च की गयी है ? क्या खर्च किये गये धन का विशेष आडिट कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद बलिया एवं लखनऊ को विगत दो वर्षों में कुल धनराशि रु0 33,17,47,837.00 शासन से प्राप्त हुई है।

जनपद बलिया एवं लखनऊ द्वारा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत है :-

मद	बलिया	लखनऊ
1-विद्यालय मरम्मत	87,15,000/-	8,31,800/-
2-नये स्कूलों का निर्माण	4,79,07,000/-	4,16,37,500/-
3-साज-सज्जा	48,20,000/-	48,94,944/-
4-वाहन व्यय	81,317/-	1,82,623/-
5-अन्य मद	8,02,59,502/-	12,01,53,884/-

जी हां। नियमानुसार निर्धारित अवधि में आडिट कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा शारदा सहायक नहर की पटरी पर पक्की सड़कों का निर्माण

35-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा शारदा सहायक नहर की पटरी पर कम से कम पांच कि0मी0 पक्की सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सुल्तानपुर में महसरगंज से बन्धुआ खलेसरपुर विकास खण्ड दुबेपुर तथा सिंचाई डाक बंगला भारी हाजी पट्टी पुल से हकुआ होते दाऊदपुर तक शारदा सहायक नहर पटरी जौनपुर ब्रान्च पर पक्की सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त पक्की सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां। शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जौनपुर शाखा में कुल लम्बाई 119.70 कि0मी0 है, के सम्पूर्ण लम्बाई में नहर पटरी पक्की बनाये जाने की योजना विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रि-स्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रस्ताव स्वीकृत है।

आगामी 02 वित्तीय वर्षों में।

प्रश्न नहीं उठता।

36-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद के आई0 ई0 आर0 टी0 की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

37-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-04 आई0 ई0 आर0 टी0 इलाहाबाद की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो समस्याओं के निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 27-11-04 के साथ संलग्न स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 22-11-04 में उल्लिखित 04 मांगों में से प्रथम मांग पर संस्था निदेशक का कार्यभार प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा संस्था के वरिष्ट प्रवक्ता श्री एस0 सी0 रोहतगी को सौंप दिया गया है। स्थायी निदेशक की नियुक्ति विषयक द्वितीय मांग के संबंध में विज्ञापन हो चुका है। तृतीय मांग प्रबन्ध समिति के गठन की है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। चतुर्थ मांग प्रशासनिक योजना की घोषणा की है, इसके संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय केन्द्रीय वस्तु संस्थान सूटरगंज, कानपुर में वर्ष 1996 में नियुक्त कर्मियों को स्थायी तथा पदोन्नति वेतनमान दिये जाने की मांग

38-श्री बादशाह सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय केन्द्रीय वस्तु संस्थान सूटरगंज, कानपुर द्वारा वर्ष 1996 में नियुक्त किये गये सहायक प्रोफेसर/प्रवक्ताओं/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शासनादेशों के अन्तर्गत स्थायी करने तथा पदोन्नति वेतनमान न दिये जाने के विरुद्ध शासन के पत्र संख्या-236/2003-सोलह- 1-11(8)2003, दिनांक 14 अगस्त, 2003 तथा 514/943 या कार्यालय/04 दिनांक 24-7-2004 के अनुपालन में अपर निदेशक आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग को प्राप्त हो गयी है , यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग की विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट शासन को दिनांक 13 जनवरी, 2005 को प्राप्त हुई है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया कार्यालय में डायट के तैनात लिपिक व स्टेनोग्राफर को हटाये जाने की मांग

39-श्री राम करन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलिया में डायट के कितने लिपिक व स्टेनोग्राफर सम्बद्ध/तैनात किये गये हैं ? उनको सम्बद्ध/तैनात करने का कारण क्या है ? क्या सरकार ऐसे तैनात/सम्बद्ध कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया कार्यालय में डायट के कोई भी लिपिक/स्टेनोग्राफर सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फैजाबाद के एम0 एल0 एम0 एल0 इण्टर कालेज में रिक्त हिन्दी प्रवक्ता के पद पर कोटे से भरे जाने की मांग

40-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित तथा अनुदानित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या एम0 एल0 एम0 एल0 इन्टर कालेज फैजाबाद के प्रबन्धतंत्र द्वारा रिक्त हिन्दी प्रवक्ता के पद को कोटे के अन्तर्गत भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विद्यालय में स्नातक वेतनक्रम में आरक्षण वर्ग में अर्ह अभ्यर्थी अनुपलब्धता के कारण चयन बोर्ड से आरक्षित अभ्यर्थी का पैनल प्राप्त हो चुका है।

जनपद-कानपुर के तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नौबस्ता, मछरिया में फर्जी प्राइमरी विद्यालय के नाम पर छात्रवृत्ति गबन की जांच

41-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कानपुर की तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1997-98 में नौबस्ता मछरिया में फर्जी प्राइमरी विद्यालय के नाम पर सैकड़ों अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के नाम पर उनकी छात्रवृत्ति के धन में गबन किये

जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या मामले की जबाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार राज्य के विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण की कोई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

सी0बी0आई0 द्वारा जांचोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। जांच में आरोपित संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, प्रकरण सी0बी0आई0 न्यायालय में विचाराधीन है।

शासनादेश सं0-3325/26-3-2000-4(215)/90 टी0सी0 दि0 6-9-2000 द्वारा पारदर्शी व्यवस्था पूर्व से ही लागू की गयी है।

सम्प्रति शासनादेश सं0-3325/26-3-2000-4(215)/90 टी0सी0 दि0 6-9-2000 के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम पंचायतों के खाते में जमा कर दी जाती है। छात्रवृत्ति का वितरण सार्वजनिक समारोह में शिविर लगाकर किया जाना प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-गोण्डा में गत वर्ष सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच

43-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2004-2005 में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम हेतु कितना धन आवंटित किया गया ? आवंटित धन किस-किस मद में व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटित धनराशि का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवा कर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2004-2005 में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम हेतु कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवाया की कतिपय ड्रेनों की सफाई कराने की मांग

44-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनों की सफाई कितने वर्ष के अन्तराल पर कराये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पुवाया जनपद शाहजहांपुर के उदरा नाला, गहलुइया ड्रेन, भार्भी सीपेज ड्रेन, कमालपुर ड्रेन, अख्त्यारपुर ड्रेन बरौबरा

सीपेज ड्रेन, नवादा ड्रेन, नवदिया बंकी ड्रेन, ब्लाक बण्डा के ड्रेनों की सफाई लगभग 10 वर्षों से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

ड्रेनों की सफाई हेतु कोई अन्तराल निर्धारित नहीं है अपितु तकनीकी आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर करायी जाती है।

वर्ष 1994-95 व 1998-99 के बीच धन की उपलब्धता के अनुसार प्रश्नगत ड्रेनों की सफाई की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के ग्राम सभा-कोटा, ब्लाक-तरवां, में उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

45-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0स0 क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा कोटा ब्लाक तरवां के नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विधान्त हिन्दू डिग्री कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 श्री हीरेन्द्र नाथ चौधरी की पत्नी को सेवायोजित कराने के आदेश

46-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री हीरेन्द्र नाथ चौधरी जो विधान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत थे, का सेवाकाल में निधन हो गया था ? क्या यह सही है कि पत्रांक संख्या-174/सा0/स0उ0शि0/2004, दिनांक 7-7-04 के द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा, इलाहाबाद ने मृतक की पत्नी को सेवायोजित करने हेतु निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या श्रीमती मीता चौधरी को सेवायोजित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/5956/04-05, दिनांक 9-2-2005 द्वारा सेवायोजन हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के परिसर में निर्माणाधीन स्टेडियम के निर्माण कार्य पूरा करने की समयावधि व मिट्टी की भराई में भुगतान की गयी राशि

47-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के परिसर में निर्मित होने वाले स्टेडियम में अब तक किये गये मिट्टी के कार्य में कुल कितना भुगतान किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वि0वि0, जौनपुर में निर्माणाधीन स्टेडियम परिसर में मिट्टी भराई के कार्य में रु0 28,27,634.00 (अट्ठाइस लाख सत्ताइस हजार छः सौ चौंतीस) का भुगतान किया गया है।

स्टेडियम का निर्माण कार्य दिनांक 31-3-2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शिवपुर माइनर जनपद-आजमगढ़ के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

48-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिवपुर माइनर जनपद आजमगढ़ के किसानों की जमीन जो नहर विभाग ने वर्ष 1986 में ली थी, के प्रतिकर का भुगतान ब्याज सहित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

इस पूरे प्रकरण की प्रमुख अभियन्ता (सिविल) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को जांच करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जांच आख्या प्राप्त होने पर सम्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के कतिपय बांधों की मरम्मत कराने सम्बन्धी पत्र

49-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर, जनपद-देवरिया अन्तर्गत भुसवल-पिड़रा बांध पिछरा-करनपुर बांध, पाण्डेय माझा-जौगिया बांध, नकईल-डहरौली बांध, नगवा-छपरा बांध, पलिया-छपरा बांध, पचलड़ी बांध नकईल-सेमरौना बांध, मदनपुर-केवटलिया बांध एवं केवटलिया-महेन बांध की मरम्मत कराने के लिए धन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया के माध्यम से वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद-लखनऊ के परगना बिजनौर, तहसील सदर, ग्राम-गौरी से ग्राम सिसेण्डी तक अमौसी रजबहा में पानी छोड़ने की मांग

50-श्री भूपेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ के परगना बिजनौर, तहसील सदर, ग्राम-गौरी से ग्राम सिसेण्डी तक अमौसी रजबहा नाम नहर में विगत एक वर्ष से पानी नहीं छोड़ा गया है जिससे क्षेत्र के सैकड़ों गांवों की फसलें सिंचाई के अभाव में नष्ट हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में पानी छुड़वाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। इस रजबहे की कुल लम्बाई 34.80 कि0मी0 है। जिसमें विगत वर्ष रबी 1411 फसली 30 कि0मी0 तक तथा खरीबा 1412 में 12 कि0मी0 तक पानी पहुंचा है। तद्नुसार पिछले एक वर्ष में रबी 1411 फसली में सींच 816 हे0 तथा खरीफ 1412 फसली में 268 हे0 सींच दर्ज हुई है। यह भी अवगत कराना है कि शारदा नहर में कम जल उपलब्ध होने के कारण प्रश्नगत रजबहे में पूरी क्षमता के साथ पानी नहीं पहुंचा है। अमौसी रजबहा शारदा नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थित है तथा इस रजबहे के हेड पर पानी पीछे 300 कि0मी0 होकर आता है। शारदा नहर प्रणाली वर्ष 1928 में निर्मित की गई थी तथा पिछले 77 वर्षों की रनिंग से प्रणाली की क्षमता घट जाने से टेल भाग में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेसिक व जूनियर विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक व जूनियर विद्यालयों में आवश्यकता से कितने शिक्षक कम हैं ? क्या सरकार इस कमी को पूरी करने के लिए शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

बेसिक (प्राथमिक) विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 76,405 पद एवं प्रधान अध्यापकों के 15,319 पद रिक्त हैं। जू0हा0 स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 12,791 एवं प्रधानाध्यापकों के 12,654 पद रिक्त हैं।

जी हां।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में कम्हरिया एवं तरवां रजबहा की सफाई कराने की मांग

52-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ में कम्हरिया रजबहा एवं तरवां रजबहा की सफाई न होने से ग्रामीणों को सिंचाई में काफी दिक्कतों का

सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त रजबहों का सफाई कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर आजमगढ़ में तरवां रजबहा एवं कम्हरिया रजबहा स्थित है। तरवां राजबहा की कुल लम्बाई 38.80 है। जिसमें जनपद आजमगढ़ में 0.00 से 26.30 तक तथा 26.30 से 38.80 कि0मी0 तक जनपद गाजीपुर में है। इस नहर में वर्तमान रवी 1412 फसली में किमी0 22.00 से 26.00 तक सिल्ट सफाई करा कर पूरे मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में पानी पहुंचा कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। कम्हरिया राजबहा, तरवां रजबहा के कि0मी0 9.10 से निकलती है जिसकी कुल लम्बाई 24.80 कि0मी0 प्रस्तावित है, जिसमें चालित लम्बाई कि0मी0 9.00 तक नियमित रूप से सिंचाई कराई जा रही है। शेष लम्बाई में जगह-जगह गैप्स होने के कारण सिंचाई कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। काश्तकारों द्वारा भू-प्रतिकर प्राप्त न होने एवं कोर्ट केस के कारण नहर की खुदाई में अवरोध है।

शेष भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक ठेकमा में नहर की सफाई की मांग

53-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक-ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम सभा जमुआंवा- शादीपुर ठेकमा तक की नहर की सफाई न होने के कारण ग्राम सभा जमुआंवा की कई एकड़ कृषि योग्य भूमि हमेशा जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमुआंवा से शादीपुर होकर ठेकमा/बरसांवा के ताल में जोड़ने वाली नहर की तत्काल सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं। ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत जमुआंवा-सादीपुर ठेकमा ग्रामों को जोड़ने वाली कोई नहर नहीं है। ग्राम जमुआंवा एवं सादीपुर के बीच से ठेकमा रजबहा नाम की नहर गुजरती है, परन्तु उसकी वजह से कोई जल भराव नहीं है। जलमग्न भूमि का उपचार करने हेतु नहर की सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जमुआंवा से सादीपुर होकर ठेकमा बरगांवा के ताल में जोड़ने वाली कोई नहर विद्यमान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की बस्ती पम्प नहर की मशीन को ऊंचा किये जाने का प्रस्ताव

54-श्री राम करन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के किसानों की सिंचाई असुविधा को देखते हुए क्या सरकार बस्ती की लंगड़ी पम्प कैनाल की मशीन को ऊंचा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत पम्प नहर का नाम लंगड़ी पम्प नहर न होकर इसका नाम बर्स्ती पम्प नहर है। इस पम्प नहर की मशीन को ऊंचा किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पम्प नहर के पम्पगृह के अन्दर नदी के सामान्य जल स्तर के अनुरूप ऊंचाई पर 3 अदद हारिजेन्टल पम्प स्थापित है। वर्षाकाल में जलस्तर बढ़ने पर मोटरों को डूबने से बचाने के लिये लगभग डेढ़ से दो माह तक हटाना पड़ता है। पम्प कैनाल के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में एक परियोजना विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत इस समस्या के निदान हेतु हारिजेन्टल पम्प सेट के स्थान पर वर्टिकल पम्पसेट लगाये जाने का भी प्राविधान है।

देवरिया के विधान सभा क्षेत्र जनपद रुद्रपुर के ग्राम हडहाकट में फिल्टर कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

55-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा तिघरा-मराछी बांध पर ग्राम हडहाकट में कि0मी0 3.200 से 3.365 तक प्रस्तावित कार्य 200 मीटर पिचिंग एवं लान्चिंग एप्रन तथा दो फिल्टर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में जो शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में तिघरा-मराछी बांध पर पिचिंग कार्य कराये जाने की मांग

56-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा तिघरा-मराछी बांध पर कि0मी0 0.800 से 1.000 पर प्रस्तावित कार्य 3 डैम्पनर एवं 100 मी0 पिचिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया का प्रस्ताव जो धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया, विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर, पिडरा-करनपुर बांध पर पिचिंग कराये जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

57-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा पिड़रा-करनपुर बांध पर ग्राम करनपुर में किमी 5.000 पर प्रस्तावित कार्य 2 डैम्पनर 150 मी0 पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया का प्रस्ताव जो धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा पिचिंग कार्य कराये जाने विषयक कथित प्रकरण

58-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा पलिया-छपरा बांध पर ग्राम गाजन में किमी 7.750 पर प्रस्तावित कार्य 2 डैम्पनर 200 मी0 पिचिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया का प्रस्ताव जो धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड पर घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित गांवों को बचाने की मांग

59-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की तहसील बेल्थरा रोड, सिकन्दरपुर एवं बांसडीह गांव घाघरा नदी के कटान से प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को कटान से बचाने के लिए रैम्प बनाने हेतु धन अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

बलिया जनपद की तहसील बेल्थरा रोड, बांसडीह, सिकन्दरपुर के वह ग्राम जो घाघरा नदी और बांध के बीच में हैं, की कृषि योग्य भूमि कटान से प्रभावित हो रही है।

जी नहीं। इस प्रकार बसे ग्रामों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा कराने की शासन की नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के बाढ़ कार्य खण्ड को धन आवंटन विषयक कथित प्रकरण

60-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर, बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया अन्तर्गत तिघरा भराक्षी, ग्राम माझनरायन कि0मी0 4.50 पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया का धन आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के नगवां-छपरा बांध पर पिचिंग/डैम्पनर बनाये जाने की मांग

61-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा नगवां-छपरा बांध पर ग्राम डढ़िया में 8.700 किमी पर प्रस्तावित कार्य 200 मी0 पिचिंग एवं लान्चिंग एप्रन तथा 1 अदद डैम्पनर बनाए जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खंण्ड देवरिया का धन आवंटन का प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर अन्तर्गत ग्राम पलिया-छपरा, गाजन हेतु प्रस्तावित कार्य

62-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया पिड़रा करमपुर, ग्राम पिड़रा कि0मी0 5.000 पर ग्राम पलिया-छपरा, ग्राम गाजन किमी 7.750 पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया का धन आवंटन का प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा प्रस्तावित कार्य का कथित प्रकरण

63-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया नगवा-छपरा बांध किमी0 8.700 के ग्राम डढ़िया के पास मदनपुर केवटलिया बांध ग्राम केवटलिया कि0मी0 1.200 पर एवं भुसवल-पिड़रा बांध किमी0 4.00 तक के प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधि0 अभि0 बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया का धन आवंटन का प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त को कब तक किया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा पिचिंग कार्य कराये जाने विषयक कथित प्रकरण

64-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा मदनपुर-केवटलिया बांध पर ग्राम केवटलिया में कि0मी0 1.200 पर प्रस्तावित कार्य 250 पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, देवरिया, बाढ़ कार्य खंण्ड देवरिया का धन आवंटन का प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद चित्रकूट के ब्लाक-मानिकपुर के ग्राम पंचायत ऊंचाडीह का मजरा में गिरते जल स्तर हेतु सिंचाई साधन उपलब्ध कराये जाने की मांग

65-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-चित्रकूट के ब्लाक-मानिकपुर के ग्राम पंचायत ऊंचाडीह का मजरा है ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर की दूरी

पर बसा है तथा वहां का जल स्तर लगभग 200 मीटर पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। वहां का जल स्तर लगभग 22 से 35 मीटर है।

जी हां।

ग्राम ऊंचाडीह में विधायक निधि से पोषित वर्ष 2003-2004 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक चेकडैम का निर्माण कराया गया है, जिससे लगभग 20 हे0 क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। वर्ष 2005-2006 की जिला योजना में एक चेकडैम प्रस्तावित है।

निर्माणाधीन पन्हाई टैंक से ग्राम ऊंचाडीह की सिंचाई हेतु 1.65 कि0मी0 लम्बी ऊंचाडीह माइनर निर्माणाधीन है। सितम्बर, 2003 में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए पन्हाई टैंक से सिंचाई बाधित है। क्षतिग्रस्त पन्हाई टैंक परियोजना के अवशेष कार्यों को ज्योलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया के तकनीकी सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त ही कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद के ग्राम बसई के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा रखी गयी तम्बाकू के प्रकरण की जांच

66-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिले के कई प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों को अध्यापकों ने गोदाम बना रखा है ? क्या यह सही है कि दिनांक 9-1-2005 को तहसील-जलालाबाद के परगना अधिकारी प्रातःकाल ग्राम बसई के विद्यालय में आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक प्रा0 विद्यालय भवन में तम्बाकू रखी हुई पकड़ी तथा थानाध्यक्ष, थाना-कलान को रिपोर्ट के लिये आदेशित करने के बाद दिनांक 11-1-2005 तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

तहसील-जलालाबाद के परगना अधिकारी द्वारा दिनांक 9-1-2005 को ग्राम-बसई के प्राथमिक विद्यालय में तम्बाकू व टेन्ट आदि का सामान पकड़ा गया। जिसकी सूचना सीधे उप जिलाधिकारी, जलालाबाद द्वारा दिनांक 9-1-2005 को थानाध्यक्ष, थाना कलान को देकर अपराध पंजीकृत करने के आदेश दिए गये। उक्त के आधार पर थाना-कलान में दिनांक 11-1-05 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो चुकी है।

उप जिलाधिकारी जलालाबाद की रिपोर्ट के आधार पर श्री ओमकार, सहा0 अध्यापक, पू0मा0वि0 शेरा वाथरखेत तथा श्री रामनिवास, प्र0अ0, प्रा0वि0 बसई को निलम्बित किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी को वर्ष 2004-05 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशक के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति की मांग

67-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशक का पद रिक्त है ? क्या नियमित निदेशक न होने के कारण उच्च शिक्षा एवं निदेशालय का प्रबन्धन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमित नियुक्ति हेतु पद रिक्त नहीं है।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान कराने की मांग

68-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 की उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगे शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक, प्रयोगात्मक परीक्षा, मूल्यांकन के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पारिश्रमिक का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

अपेक्षित धनराशि का बजट प्राविधान न होने के कारण।

वित्तीय व्यवस्था करायी जा रही है, जिसके उपलब्ध होते ही उक्त पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद बलिया में कन्या धन योजना के अन्तर्गत छात्राओं को धन वितरित कराये जाने की मांग

69-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कितनी इण्टर पास छात्राओं को "कन्या धन योजना" के तहत वर्ष 2004-2005 में कितनी धनराशि दी गयी है तथा कितनी छात्रायें शेष हैं ? शेष छात्राओं को कब तक धन वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बलिया में वर्ष 2004-05 में किसी छात्रा को कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत धनराशि वितरित नहीं की गई है, वर्तमान समय तक इण्टर पास 192 छात्राओं हेतु कुल 30.40 लाख की धनराशि बलिया को आवंटित कर दी गई है शेष 72 छात्राओं के आय प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराया जा रहा है।

सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद तथा पात्रता सूची बनाने के पश्चात्।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के ग्राम रायपुर में लोनी नाले के पुल की मरम्मत विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

70-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-रायपुर के पास निर्मित लोनी नाले पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16-09-2003 को विधान सभा में नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा अपने अर्द्ध0 शा0 प0 सं0-4597/2003/27-सिं0-5-301(1)/03, सिंचाई अनुभाग-5, दिनांक 05 दिसम्बर, 03 द्वारा उक्त कार्य जून, 2004 तक पूर्ण कराने की सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य समय से पूरा न करने हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम मोहरा में केवटलिया महेन बांध पर सेटबैक बनाये जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

71-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा केवटलिया महेन बांध पर ग्राम मोहरा में कि0मी0 2.850 से 3.500 पर प्रस्तावित कार्य 3 अदद डैम्पनर 180 मी0 सेटबैक बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का धन आवंटन हेतु प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम नकईल में नकईल-इहरौली बांध पर डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

72-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा नकईल-इहरौली बांध पर ग्राम नकईल में कि0मी0 3.500 से 4.530 पर प्रस्तावित कार्य 6 अदद डैम्पनर बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का धन आवंटन हेतु प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम बनकटी में तिघरा-मराछी बांध पर डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

73-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा तिघरा-मराछी बांध पर ग्राम बनकटी में कि0मी0 5.800 पर प्रस्तावित कार्य 2 अदद डैम्पनर बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का धन आवंटन हेतु प्रस्ताव दर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में भसवल-पिड़रा बांध पर डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

74-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा भसवल-पिड़रा बांध पर किमी0 4.00 पर प्रस्तावित कार्य 2 अदद डैम्पनर एवं 200 मीटर पिचिंग तथा लांचिंग एप्रन बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का धन आवंटन हेतु प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 के लिये शोध छात्रों का पंजीकरण

75-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से पी0 एच0 डी0 के लिये शोध छात्रों का पंजीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में शोध छात्रों का पंजीकरण शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट की छात्राओं हेतु धनराशि देने की घोषणा

76-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में इण्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को रुपये 20 हजार देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अभी तक कितनी छात्राओं को कितना धन प्रदेश में दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त धनराशि देने के कुछ मानक भी बनाये गये हैं ? यदि हां, तो वह मानक क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां "कन्या विद्या धन" योजना के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर रुपये बीस हजार देने की घोषणा है।

जी हां। वर्ष 2004 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 25 हजार छात्राओं के लिये रु0 50.00 करोड़ की धनराशि प्रदेश के विभिन्न जनपदों को दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग के शासनादेशानुसार लगातार सेवा करने वाले प्रवक्ताओं को पदोन्नति वेतनमान दिये जाने का प्राविधान

77-श्री बादशाह सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2058/99-सोलह- प्र0शि0-1-61 (सा0)/99, दिनांक 21 फरवरी, 2000 के अन्तर्गत 6 वर्ष लगातार सेवा करने वाले प्रवक्ताओं को पदोन्नति वेतनमान दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, सूटरगंज कानपुर द्वारा इस शासनादेश का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एस0वी0 इण्टर कालेज कालपी के सहायक अध्यापक की पुत्री के व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत प्रदान की गई आर्थिक सहायता

78-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक अध्यापक, एम0 एस0 वी0 इण्टर कालेज कालपी को शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान लखनऊ द्वारा पत्रांक अ0 क0/2383/84/2003-04, दिनांक 13-2-04 द्वारा पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत रुपया 15000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री सिन्हा को उक्त सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।

जनपद जालौन के कतिपय घाटों को यमुना नदी की कटान से बचाने सम्बन्धी योजना की जानकारी

79-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16-2-04 को जनपद जालौन के चन्देल कालीन किलाघाट तथा किला पीलाघाट को यमुना की कटान से बचाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को कटान से बचाने के लिये कोई कार्ययोजना बना कर धन निर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

मा0 सदस्य को उत्तर दे दिया गया है।

जी नहीं।

चन्देल कालीन किलाघाट एवं किला पीलाघाट का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है। उक्त सिंचाई विभाग में इनके यमुना नदी के कटान से बचाने की कोई योजना नहीं है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बायो-टेक्नोलाजी सेन्टर का निर्माण

80-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालयों में बायो-टेक्नोलाजी सेन्टर खोलने हेतु धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सेन्टर का निर्माण कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त सेन्टर का निर्माण कार्य वर्ष 2001 में ही पूर्ण कराया जा चुका है।

श्रीमती सुमित्रा देवी को राजकीय बालिका इण्टर कालेज आलापुर, अम्बेडकरनगर में उर्दू विषय पढ़ाने की अनुमति दिये जाने की मांग

81-श्री जयराम विमल

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुमित्रा देवी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आलापुर, अम्बेडकरनगर में उर्दू विषय पढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उर्दू विषय पढ़ाने की अनुमति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पद सृजित न होने तथा उर्दू विषय पढ़ाने के सम्बन्ध में जनपद से औचित्यपूर्ण मांग प्राप्त न होने के कारण।

जिला योजनान्तर्गत अतिरिक्त विषय की औचित्यपूर्ण मांग प्राप्त होने तथा पद सृजित होने के पश्चात्।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों को मानदेय दिये जाने की मांग

82-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को माह मई-जून के मानदेय दिये जाने हेतु क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

माह मई के अन्तिम कार्य दिवस तक के शिक्षण कार्य हेतु मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। राजाज्ञा सं0 129 (1)/15-5-2000-282/98, दिनांक 01 जुलाई, 2000 को धारा-5 के अनुसार माह मई के अन्तिम कार्य दिवस को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया अनुबन्ध/संविदा स्वतः समाप्त हो जाने व माह जून में विद्यालय बन्द रहने के कारण माह जून से मानदेय के भुगतान का कोई औचित्य नहीं बनता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 रामजी दास तिवारी की विधवा को राजनैतिक पेंशन दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

83-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0-एम/80393/2003, दिनांक 24-6-03 जो श्रीमती बुद्धिमती तिवारी बेवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 रामजी दास तिवारी को समस्त लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, राजनैतिक पेंशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबूलाल)-

जी हां। मा0 विधायक डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा के पत्र दिनांक 17-6-2003 एवं उसके साथ संलग्न श्रीमती बुद्धिमती तिवारी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-5-2003 की छाया प्रति शासन के पत्र दिनांक 22-7-03 के साथ संलग्न कर जिलाधिकारी, जालौन को भेजते हुए श्रीमती बुद्धिमती तिवारी के पति स्व0 श्री रामजीदास तिवारी की सजायाबी के सम्बन्ध में जांच कराकर जांच आख्या संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। मामले की जांच जिलाधिकारी, जालौन द्वारा उप जिलाधिकारी, कालपी से कराई गई। जांच में स्व0 श्री रामजीदास तिवारी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न पाये जाने के कारण वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमती बुद्धिमती तिवारी को राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पारिवारिक पेंशन व अन्य लाभ देय नहीं है।

जनपद सीतापुर के उप शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र

84-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में कार्यरत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्रीमती जयन्ती दीक्षित के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर पत्रांक कम्प्यूटर सी/2101253231 : सी0एम0/वि0को0/एम/125383/2004/दि0 26-7-2004 शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उ0 प्र0 को जांच हेतु भेजा गया था ? क्या जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या तथ्य जांच में पाये गये एवं जांच अधिकारी द्वारा क्या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रायबरेली विकास खण्ड रोहनियां में जीर्ण शीर्ण इटैली पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

85-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के वि0 खं0 रोहनियां स्थित सरेनी इटैली झील पर इटेली पुल अति जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत पुल लालचन्द पुर ड्रेन के कि0मी0 0.40 पर अवस्थित है। यह ड्रेन उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उ0प्र0 ऊसर भूमि सुधार परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत पुनर्स्थापना हेतु

चयनित है। उ0प्र0 भूमि सुधार निगम से इस पुल के पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक धनावंटन प्राप्त होने पर पुल का निर्माण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र डलमऊ के पड़वा नाला तथा ड्रेन की सफाई कराये जाने की मांग

86-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के डलमऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दीनगंज ड्रेन से पखरौली होते हुये पड़वा नाला तक ड्रेन की सफाई गत कई वर्षों से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसकी सफाई करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत ड्रेन का पुनरोद्धार उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना फेज-2 में प्रस्तावित किया गया था। यह योजना भूमि सुधार निगम द्वारा स्वीकार नहीं की गई। सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत केवल ट्रंक ड्रेनों की ही सफाई कराई जाती है। प्रश्नगत ड्रेन, ट्रंक ड्रेन की श्रेणी में नहीं आता है।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

87-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-32 जनपद आजमगढ़ में कुल कितने कर्मचारी विगत 8 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में कुल 53 कर्मचारी विगत 8 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं।

शासकीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण किये जाते हैं। केवल समयावधि के आधार पर सभी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर विचार करने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के घाघरा नदी पर बाबा बालखण्डी नाथ के मन्दिर को नदी के कटान से बचाये जाने हेतु योजना

88-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के घाघरा नदी के किनारे तुर्तीपार श्रीनगर बांध पर स्थित बाबा बालखण्डी नाथ का मन्दिर नदी की कटान से गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंधे एवं मन्दिर को बचाने के लिये रैम्प बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिंह चौहान-

जी नहीं। अपितु नदी की कटान से प्रभावित हो रहा है।

बाबा बालखण्डी नाथ जी का मन्दिर व डूहा कथौड़ा बांध के सुरक्षार्थ एक योजना तैयार की गई है। योजना के अनुमोदन कराने, तदोपरान्त कार्यान्वयन हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के मदनपुर केवटलिया बांध पर डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

89-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा मदनपुर-केवटलिया बांध पर ग्राम केवटलिया में किमी0 1.200 पर 2 डैम्पनर बनाये जाने के सम्बन्ध में अधि0 अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा वर्ष 2004 में धन आवंटन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम बनकटी में तिघरा-मराछी बांध पर कटाव निरोधक कार्य कराये जाने का कथित प्रकरण

90-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया तिघरा-मराछी बांध कि0मी0 5.80 पर ग्राम बनकटी के पास कटान पर मराछी नगवाडौला रिटायर बांध पर कटाव निरोधक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधि0 अभि0, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के तिघरा-मराछी बांध पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने का कथित प्रकरण

91-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया तिघरा-मराछी बांध किमी0 0.800 से 1.000 पर तथा

तिघरा-मराछी बांध ग्राम-हड़हाकट किमी0 3.200 से 3.36 तक प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधि0 अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम मोहरा में प्रस्तावित कार्य कराये जाने का कथित प्रकरण

92-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया केवटलिया महेन, ग्राम मोहरा कि0मी0 2.850 से 3.500 पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधि0 अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम पिडरा पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने का कथित प्रकरण

93-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया पिड़रा-करनपुर, ग्राम पिड़रा कि0मी0 0.800 पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधि0 अभि0, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है

जनपद शाहजहांपुर के लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय हेतु लिये गये भवन के स्वामी को किराये का भुगतान किये जाने की मांग

94-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघु सिंचाई विभाग, शाहजहांपुर शाखा द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु कितने भवन किराये पर लिए गये हैं ? क्या अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, शाहजहांपुर लघु सिंचाई विभाग शकील अहसन खां के भवन में स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भवन के किराये का भुगतान भवन मालिक को लगभग एक वर्ष से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भवन के किराये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शाकिर अली-

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, शाहजहांपुर के कार्यालय उपयोग हेतु एक भवन किराये पर लिया गया है।

जी हां।

जी हां। भवन स्वामी श्री शकील अहसन खां को माह नवम्बर, 2003 से किराये का भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भवन स्वामी द्वारा कार्यालय भवन का एक कक्ष किराये पर लेने की तिथि से अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में बनाये रखने के कारण उक्त कक्ष के किराये की धनराशि काटकर भवन स्वामी को माह नवम्बर, 2003 से फरवरी, 2004 तक के किराये की धनराशि अंकन रु0 7,488.00 की चेक संख्या-ए0ई0 595271 दिनांक 29-3-2004 अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) शाहजहांपुर द्वारा उनके पंजीकृत पत्र संख्या-11/ल0सिं0/स्था0/भवन किराया, दिनांक 7-4-2004 द्वारा भेजी गयी थी, जिसे भवन स्वामी द्वारा लेने से मना कर दिया गया। तत्पश्चात् अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) शाहजहांपुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-80/ल0सिं0/स्था-कार्यालय भवन, दिनांक 27-4-2004 विशेष पत्र वाहक द्वारा भेजा जिसे भी भवन स्वामी द्वारा लेने से मना कर दिया गया।

सम्पूर्ण स्थिति उपर्युक्तानुसार पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

भवन स्वामी श्री शकील अहसन खां द्वारा भवन को किराये पर लिये जाने की तिथि से भवन का 190 वर्गफुट के एक कमरे का कब्जा कई बार अनुरोध करने के उपरान्त भी न दिये जाने के कारण अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 6-12-2003 को उक्त कमरे का भुगतान किया गया अधिक किराया रु0 25,080.00 को जमा करने का आदेश भवन स्वामी को किया गया, परन्तु भवन स्वामी द्वारा अधिक भुगतान किये गये किराये रु0 25,080.00 को जमा नहीं किया गया। उक्त स्थिति में भवन स्वामी को माह नवम्बर, 2003 से जनवरी, 2005 तक कुल देय किराया रु0 28,080.00 में से अधिक भुगतान किये गये किराये रु0 25,080 को काटते हुए शेष किराया रु0 3000.00 को भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 10-2-2005 को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, शाहजहांपुर द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

95-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष, समाजवादी जनता पार्टी का शिकायती-पत्र दिनांक 24-7-2003, मुख्य अभियन्ता का

शिकायर्ता-पत्र दिनांक 9-3-2004 प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की वक्फ सम्पत्तियों के अवैधानिक रूप से क्रय-विक्रय किये जाने पर रोक विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

96-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर शहर के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के अवैधानिक रूप से क्रय-विक्रय किये जाने की रोकथाम हेतु अपर आयुक्त, वक्फ उ0 प्र0 द्वारा सहायक निबन्धक, शाहजहांपुर को पत्र दिनांक 30-7-2004 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में मराछी-नगंवा दौला बांध पर कटाव निरोधक एप्रन बनाये जाने का कथित प्रकरण

97- श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा मराछी-नगंवा दौला बांध पर कटाव निरोधक एप्रन को बनाए जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम पिड़रा में करनपुर बांध में पिचिंग कराये जाने का कथित प्रकरण

98- श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा पिड़रा-करनपुर बांध पर ग्राम पिड़रा में कि0मी0 0.800 पर 2 डैम्पनर

150 मी0 पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम जोगिया में डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

99-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा पाण्डेय माझा योगिया बांध पर ग्राम जोगिया में किमी0 5.700 से 5.760 पर 2 डैम्पनर बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्राम सोनबरसा में डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

100- श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा नकईल-डहरौली बांध पर ग्राम सोनबरसा में किमी0 1.200 पर 5 डैम्पनर बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम माझानरायन में तिघरामराछी बांध पर डैम्पनर बनाये जाने का कथित प्रकरण

101- श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा तिघरा-मराछी बांध पर ग्राम माझानरायन में किमी0 04.50 पर 6 डैम्पनर बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन

आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं

• प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में खड़े रहे और नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपनी सीट पर बैठ जायें, जो आपने कहा था शून्य प्रहर में उस पर बात होगी लेकिन सबसे पहले निधन के निर्देश हो जाने दीजिये।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरी एक बात को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पहले निधन के निर्देश हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको समय दे देंगे।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी0 वी0 नरसिंह राव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी0वी0 नरसिंह राव का निधन दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि अब तक की परिपाटी यही रही है कि यदि सिटिंग मेम्बर्स का देहान्त होता है, निधन होता है तो उनके लिये सभी दलों के नेतागण बोलते हैं लेकिन यदि उनके अलावा कोई हो तो माननीय अध्यक्ष ही बोल देते हैं। अगर फिर कुछ खासतौर से कोई कहना चाहे तो आप इसके लिये अनुमति दे सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आपकी तरफ से ही आ जाना चाहिए।

(श्री प्रमोद कुमार, नेता राष्ट्रीय कांग्रेस के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हां, आप कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, श्री पी0 वी0 नरसिंह राव जिनका निधन 23 दिसम्बर, 2004 को हुआ इनके निधन से समूचे राष्ट्र ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया, जिसने देश की बागडोर उस समय सम्भाली थी, जब राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। उस दौर में उन्होंने लगातार 5 वर्ष तक

एक स्थिर सरकार चलाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें सभी का सहयोग रहा। वह इसलिये याद किये जायेंगे कि उन्होंने उदारीकरण को दृढ़ता के साथ अपने कार्यकाल में लागू किया। उनके उदारीकरण की जो नीति थी, जो आर्थिक नीति थी, वह देश हित में थी। इसीलिए जो भी सरकारें आयीं, सभी ने उनको लागू किया, स्वीकार किया। मान्यवर, श्री राव एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण परिवार से आये और एक लम्बा सफर तय किया। सदस्य, विधान सभा, मुख्य मंत्री और भारत सरकार का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं था जिसका कार्यभार उन्होंने नहीं ग्रहण किया हो। सभी जगह पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करके खड़ा हुआ हूं, उन्होंने जिस तरह से देश को स्थिरता दी, नयी आर्थिक नीति दी और सबसे बड़ी बात यह कि आज राजनीति में इतना प्रखर विद्वान, जिन्हें 16 भाषाओं का ज्ञान ही नहीं था बल्कि 16 भाषाएं वह बोल लेते थे, समझ लेते थे। इस तरह के प्रकाण्ड विद्वान देश में गिने-चुने ही रह गये हैं। निःसन्देह मैं अपनी और अपने दल की ओर से स्वर्गीय नरसिंह राव जी के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए, संवदेना व्यक्त करते हुए, आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी और मेरे दल की भावनायें उनके परिवारीजन तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

श्री पी0 वी0 नरसिंह राव जी का निधन 23 दिसम्बर, 2004 को हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाने वाले भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, जैसा कि माननीय नेता कांग्रेस ने कहा कि ऐसे दौर में वे प्रधान मंत्री हुए और एक असरदार सरकार चलायी, यह उनकी योग्यता और प्रशासनिक क्षमता का परिचायक था। आन्ध्र प्रदेश में 28 जून, 1921 को करीमनगर जिले के वंगारा के एक किसान परिवार में जन्में श्री पी0 वी0 नरसिंह राव बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भाषाविद् और साहित्यकार थे। उन्होंने बी0एस0-सी0, एल0 एल0 बी0 के अलावा साहित्यरत्न की भी उपाधि प्राप्त की थी।

श्री राव ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे वर्ष 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने थे। वे पहली बार वर्ष 1957 में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कई विभागों के मंत्री रहने के बाद वर्ष 1971 में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे। वे छठी से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। वे केन्द्र में प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री रहे तथा वर्ष 1991 से 1996 में अखिल भारतीय कांग्रेस (इ0) के अध्यक्ष तथा देश के प्रधान मंत्री रहे। साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले श्री राव की कई रचनायें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। श्री राव के निधन से देश ने एक महान नेता खो दिया।

मैं आप सबकी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा की शान्ति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

पूर्व विधायकों के निधन के निर्देश हो जाने दीजिए।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम सुभग वर्मा, डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्रीमती शकुन्तला नायर, श्री इकबाल अहमद, श्री तेज बहादुर गंगवार, श्री राम अधार यादव, श्रीमती प्रभा द्विवेदी, श्री अखलाक हाजी, श्रीमती धनेश्वरी देवी, श्री लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री दौलत राम तथा श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सुभग वर्मा का 6 जून, 1995 को निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे। श्री राम सुभग वर्मा का जन्म 1 जुलाई, 1904 को हुआ था।

श्री राम सुभग वर्मा वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र पडरौना (पश्चिम), तत्कालीन जिला देवरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम सुभग वर्मा एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। वे विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के फलस्वरूप लगभग 12 वर्षों तक जेल में रहे। श्री राम सुभग वर्मा के निधन से जिला कुशीनगर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 शिवानन्द नौटियाल का 2 अप्रैल, 2004 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। डा0 शिवानन्द नौटियाल का जन्म 18 जून, 1936 को ग्राम कोठला, जिला गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, पी-एच0 डी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 शिवानन्द नौटियाल सर्वप्रथम वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र पौड़ी, जिला गढ़वाल से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 में कांग्रेस, वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1980 में निर्दलीय, वर्ष 1985 में लोकदल तथा वर्ष 1989 में कांग्रेस से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। डा0 शिवानन्द नौटियाल श्री बनारसी दास मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। वे वर्ष 1982-83 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे थे। गढ़वाली लोक साहित्य के विकास में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी विभिन्न विषयों पर पुस्तकें एवं लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अध्ययन एवं लेखन में उनकी विशेष रुचि थी। जब नौटियाल साहब आश्वासन समिति के सभापति थे तो मैं उस समिति का सदस्य था। उनके साथ अध्ययन-भ्रमण पर विभिन्न प्रदेशों में साथ जाने का अवसर मिला था। वह बहुत ही विद्वान और सहृदय व्यक्ति थे। वे सहृदयता से इतने ओतप्रोत हो जाते थे कि लगता ही नहीं था कि वे हमारे परिवार के नहीं हैं। डा0 शिवानन्द नौटियाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती शकुन्तला नायर का 4 दिसम्बर, 2004 को लखनऊ में निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष की थीं। श्रीमती शकुन्तला नायर का जन्म जनवरी 1924 में देहरादून में हुआ था। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती शकुन्तला नायर सर्वप्रथम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बस्ती नगर से जनसंघ दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुयी थीं। तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र फखरपुर, जिला बहराइच से जनता पार्टी के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुयी थीं। वे पहली, चौथी और पांचवीं लोक सभा की सदस्य भी रह चुकी थीं। श्रीमती शकुन्तला नायर ने आपातकाल के समय जेल यात्रा की थी।

वे वर्ष 1977-1979 तक श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रह चुकी थीं। अध्ययन एवं बागवानी में उनकी रुचि थी। श्रीमती शकुन्तला नायर के निधन से जिला बहराइच ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इकबाल अहमद का 7 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री इकबाल अहमद का जन्म वर्ष 1928 में कोपागंज में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री इकबाल अहमद वर्ष 1985 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मऊ, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री इकबाल अहमद कई वर्षों तक टाउन एरिया, कोपागंज के चेयरमैन रह चुके थे। वे वर्ष 1962 में आई0पी0सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत 12 दिन तक आजमगढ़ कारागार में बन्दी रहे थे। राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री इकबाल अहमद के निधन से जिला मऊ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेज बहादुर गंगवार का 12 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री तेज बहादुर गंगवार का जन्म 22 फरवरी, 1930 को ग्राम नौगवां संतोष, जिला पीलीभीत में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तेज बहादुर गंगवार वर्ष 1969 में भारतीय क्रांति दल, वर्ष 1974, 1980 तथा 1985 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बीसलपुर, जिला पीलीभीत से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री तेज बहादुर गंगवार वर्ष 1979 में धारा 144 तोड़ने के फलस्वरूप 4 दिन तक पीलीभीत कारागार में बन्दी रहे थे। वे नौगवां संतोष न्याय पंचायत के सरपंच एवं क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष विकास क्षेत्र विलसंडा के प्रमुख तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमृतखास तथा अमराकरोड़ के संस्थापक एवं प्रबन्धक रह चुके थे। वे गन्ना विकास समिति, बीसलपुर के अध्यक्ष रहे एवं किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वे जिला सहकारी बैंक, पीलीभीत के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। वे श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल में वर्ष 1984 में राज्यमंत्री रह चुके थे। वे वर्ष 1987-88 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे थे। श्री तेज बहादुर गंगवार के निधन से जिला पीलीभीत ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम अधार यादव का 19 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री राम अधार यादव का जन्म 10 अक्टूबर, 1944 को महराजगंज में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम अधार यादव वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र श्याम देउरवां जिला महराजगंज से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम अधार यादव बागपत आन्दोलन में 18 सितम्बर, 1981 से 26 सितम्बर, 1981 तक जिला कारागार, गोरखपुर में बन्दी रहे थे। वे श्री रूप नरायन सिंह सर्वहितकारी इंटर कालेज बसन्तपुर घुघली, जिला महराजगंज की कार्यकारिणी के सदस्य थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम अधार यादव के निधन से जिला महराजगंज ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती प्रभा द्विवेदी का 21 दिसम्बर, 2004 को दिल्ली में निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष की थीं। श्रीमती प्रभा द्विवेदी का जन्म 1 दिसम्बर, 1936 को पूरबी शादीनगर, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर तथा बी0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती प्रभा द्विवेदी वर्ष 1997 में निर्वाचन क्षेत्र फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुयी थीं। श्रीमती प्रभा द्विवेदी वर्ष 1962 से शिक्षा विभाग के कई पदों पर कार्य करते हुए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) लखनऊ से वर्ष 1995 में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने भारत स्काउट एण्ड गाइड, जिला आयुक्त एवं भारत विकास परिषद् फर्रुखाबाद की सदस्या के रूप में अनेक सामाजिक कार्य किये थे। वे वर्ष 1997 से 2002 तक सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल, श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रिमण्डल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री रह चुकी थीं। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्रीमती प्रभा द्विवेदी के निधन से जिला फर्रुखाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्री अखलाक हाजी का 1 जनवरी, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 59 वर्ष के थे। श्री अखलाक हाजी का जन्म 11 नवम्बर, 1946 को मेरठ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तथा फैज-ए-आम की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अखलाक हाजी वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र मेरठ, जिला मेरठ से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अखलाक हाजी आल इण्डिया जमेतुल कुरैश, जिला मेरठ के अध्यक्ष रहे थे। वे अखिल भारतीय पर्यावरण प्रकोष्ठ, एजूकेशनल सोसाइटी आफ इण्डिया, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी आफ इण्डिया तथा साप्ताहिक नौचन्दी बुलेटिन के संरक्षक थे। वे जिला मेरठ ताहफफुज औकाफ कमेटी के सदस्य भी रहे थे। साम्प्रदायिकता समाप्त करने, समाज सेवा तथा किताबें पढ़ने-लिखने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अखलाक हाजी के निधन से जिला मेरठ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती धनेश्वरी देवी का 3 जनवरी, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष की थीं। श्रीमती धनेश्वरी देवी का जन्म 1 जुलाई, 1920 को हुआ था। उन्होंने विद्या विनोदनी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती धनेश्वरी देवी वर्ष 1980 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर, जिला वाराणसी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती धनेश्वरी देवी धारा 144 के उल्लंघन के सम्बन्ध में लखनऊ में आदर्श कारागार में कुछ समय बन्दी रह चुकी थीं। इनके पति श्री राम नरेश सिंह, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। प्रौढ़ शिक्षा व महिला विकास में इनकी विशेष रुचि थी। श्रीमती धनेश्वरी देवी के निधन से जिला वाराणसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर सिंह का 14 जनवरी, 2005 को लखनऊ में निधन हो गया। वे लगभग 51 वर्ष के थे। श्री लक्ष्मेश्वर सिंह का जन्म 17 अप्रैल, 1954 को बस्ती में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लक्ष्मेश्वर सिंह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र बस्ती, जिला बस्ती से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री लक्ष्मेश्वर सिंह ने वर्ष 1985 में चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति में प्रवेश किया था। वे कई

खेलों से गहरे जुड़े रहे थे वे एक मृदुभाषी विनम्र तथा दयालु नेता के रूप में अपने क्षेत्र में विख्यात थे। श्री लक्ष्मेश्वर सिंह के निधन से जिला बस्ती ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी का 26 जनवरी, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी का जन्म 19 जुलाई, 1932 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने बी0एस-सी0 एल-एल0 बी0 तथा साहित्य रत्न की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी वर्ष 1980 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र करछना, जिला इलाहाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी ने वर्ष 1958 से 1980 तक जिला कचहरी में वकालत की थी। विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक अभियान में सक्रिय योगदान दिया था। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल में राज्यमंत्री तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल में मंत्री रह चुके थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी के निधन से जिला इलाहाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दौलत राम का 25 जनवरी, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री दौलत राम का जन्म 7 अगस्त, 1937 को ग्राम कोल्हारा, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, बी0एड0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दौलत राम वर्ष 1989, 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र हरगांव जिला सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री दौलत राम माध्यमिक शिक्षक संघ के आन्दोलन में तीन दिन तक सीतापुर जिला जेल में तथा कारसेवा में जिला लखीमपुर खीरी में 15 दिन बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1991-92 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति रहे थे। वे 16 अगस्त, 1992 से 6 दिसम्बर, 1992 तक श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री रह चुके थे। सामाजिक सेवा तथा पठन पाठन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दौलत राम के निधन से जिला सीतापुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। हम इन दिवंगत भूतपूर्व सदस्यों के परिवारों को इस सदन और अपनी तरफ से सम्वेदना पहुंचा देंगे। आप सबसे निवेदन है कि इनकी आत्मा की शांति के लिए, 2 मिनट का मौन रखा जाये।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में आये सुनामी तूफान में काल कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक प्रस्ताव

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में आए सुनामी तूफान में काल-कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकट करता है और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धान्जलि अर्पित करता है। ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ माना जाता है। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले में स्थित कालूवाई मंदिर में हुई दुर्घटना में काल कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां-)

मान्यवर, यह सदन दिनांक 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई तालूका के मण्ढार देव नामक स्थान पर स्थित कालूबाई मंदिर में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर हुई दुर्घटना में काल-कवलित व्यक्तियों के प्रति शोक व्यक्त करता है और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतृप्त परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ माना जाता है। अब हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के त्रुटिपूर्ण उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न

डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 67 था जिसका उत्तर माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है। मान्यवर, यह त्रुटिपूर्ण उत्तर है। हमारा प्रश्न यह था कि "क्या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशक का पद रिक्त है" उसमें उत्तर मिला है कि-"जी नहीं।" प्रश्न में आगे यह था कि "क्या नियमित निदेशक न होने के कारण उच्च शिक्षा एवं निदेशालय का प्रबन्धन प्रभावित हो रहा है?" उत्तर मिला है-"प्रश्न नहीं उठता।"

"यदि हाँ, तो क्या सरकार निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति करेगी?" "उत्तर आया था" प्रश्न नहीं उठता "यदि हाँ, तो कब तक ?" उत्तर आया "प्रश्न नहीं उठता," फिर "यदि नहीं, तो क्यों ?" उत्तर आया था "नियमित नियुक्ति हेतु पद रिक्त नहीं है।"

मान्यवर, जो उच्च शिक्षा निदेशक का पद होता है वह विभागीय पद होता है। जहां तक मुझे जानकारी है विशेष सचिव, एक्टिंग डायरेक्टर हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियमावली में प्राविधान है निदेश संख्या-166 में आप सूचना दे दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोकतंत्र के चौथे खम्भे पर हमला हुआ है। लखीमपुर का एक प्रकरण है। एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

पहले नियम-301 और 300 तो ले लेने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने नियम-311 में लिखकर दिया है। इसमें आप सारे नियमों को निलम्बित करके हमको सुन लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अभी गौर साहब ने जो प्रश्न रखा है वह गम्भीर है। उसमें मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि दो चार साल पहले का हिसाब मंगा लीजिये कि कब से यह व्यवस्था है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें इसका परीक्षण हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमने भी नियम-311 में एक सूचना दी थी और आपने कहा था कि इसको मैं शून्य प्रहर में सुन लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

पहले नियम-301 और 300 हो जाने दें।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि नियम-165, 166 में दे दें तब संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न वाजिब है लेकिन पिछला कार्यकाल भी देख लें। मान्यवर, पिछले सालों में बंसल और तिवारी जी पूर्णकालिक थे। ऐसी बात करके सदन को गुमराह करने और आप द्वारा संरक्षण न देने, इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब नियमों में आ जायेगा तब इसका परीक्षण हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी सम्मानित सदस्य हैं और वरिष्ठ भी हैं। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया लेकिन बाजपेयी जी ने नाम ले लिया है। आप देखें इसमें इनके ऊपर कितने मुकदमें हैं, कितने यह कलंकित हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने रख रखा था। इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। [xxx]

नोट:-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था आ जाने के बाद इनको कहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने सबसे पहले प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराध पर नियम-311 में नोटिस दी थी और आपने कहा था कि इसको शून्य प्रहर में सुन लिया जायेगा, उसी में दूसरे दल का भी विषय सम्मिलित है, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते, नेता विरोधी दल होने के नाते पहले मुझको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल का प्रथम स्थान होता है। आपको प्राथमिकता मिलेगी यह तो संसदीय परम्परा है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर बोलने पर)

माननीय मौर्य जी आप बैठ जायें। नेता विरोधी दल को प्राथमिकता मिलेगी।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं। सभी प्राप्त सूचनायें नियमानुकूल होने के कारण स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, तीसरी सूचना श्री राजेश कुमार की है, चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, पांचवीं सूचना श्री मशहूद खां की है.....

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, इसके साथ ही आप यह भी देख लें कि यह सदस्य सदन में उपस्थित है कि नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री मशहूद खां सदन में उपस्थित हैं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित थे।)

श्री अध्यक्ष-

श्री मशहूद खां सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए इनकी सूचना को नहीं लिया जायेगा।

अगली छठवीं सूचना डा0 सुशील चौधरी की है, सातवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, आठवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है, नवीं सूचना श्री उमा शंकर कुशवाहा की है, दसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की है और अन्तिम ग्यारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय जी की है।

माननीय सदस्य श्री मशहूद खां सदन में उपस्थित नहीं हैं अतः उनकी सूचना को छोड़कर शेष सभी उपस्थित माननीय सदस्यों की स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुइ मानी गयीं।

जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के मध्य आवागमन हेतु पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[महोदय, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बयालसी में दो नदियां बहती है। उनसे निकलने वाले नालों पर आवागमन अत्यन्त कठिन रहता है। आस पास के ग्रामीण अपना कारोबार आदि के सम्बन्ध में एक दूसरे ग्रामों में जाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करते हैं। निम्न ग्रामों के मध्य पुल का बनना आवश्यक है :-

(1) कुण्डी कुटी के पास नाले पर पुल।

(2) रत्तीपुर और कोड्डा के मध्य विकास खण्ड धर्मापुर।

(3) मुफ्तीगंज सुचिनपुर बेलाव के मध्य नाले पर पुल।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मा0 लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त तीनों नालों पर पुल बनाने हेतु राज्य सेक्टर से धन उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर नगर में नालों की सफाई के सम्बन्ध में मौखिक तथा लिखित रूप से मांग की गई है परन्तु कोई परिणाम सामने नहीं आया नाले की सफाई न होने के कारण गन्दगी सड़कों पर फैलती है जिससे गन्दगी के कारण प्रदूषण होता है तथा बीमारी फैलने का अन्देशा भी है।

शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला, कच्चा कटरा से पश्चिम वाला तथा भोलागंज फाटक के पूर्व वाला नाला बुरी तरह से ओवर फ्लो कर रहा है, भोलागंज के पूर्व वाले नाले में पानी तथा कीचड़ इतना ओवर फ्लो कर रहा है कि आस पास के घरों में कीचड़ व पानी भर जाता है, इससे बहुत असुविधा हो रही है। जनहित में नालों की सफाई आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से सफाई की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी के पैला क्षेत्र में जानकी देवी कन्या इण्टर कालेज बांकेगंज को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र 53 पैला में शासन द्वारा चलायी जा रही योजना असेवित विकास खण्डों की दूसरी असेवित न्याय पंचायत में कन्या इण्टर कालेज, बांकेगंज जनपद खीरी के चयन का प्रस्ताव जिलाधिकारी खीरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन कर प्रस्ताव को संस्तुति हेतु भेज दिया गया था एवं माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 उ0 प्र0 शासन को भेज दिया था। सभी औपचारिकताऐं पूर्ण होते हुए भी पत्रावली शिक्षा अनुभाग-8 में कर्मचारियों/अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण लम्बित है कन्या इण्टर कालेज को धन आवंटित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(अनुदान) न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि शीघ्र ही अवेस्ति विकास खण्ड बांकेगंज जनपद लखीमपुर-खीरी में ब्लाक मुख्यालय पर कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु जानकी देवी कन्या इण्टर कालेज, बांकेगंज, जनपद खीरी को अनुदान देने की कृपा करें ताकि लम्बित योजना पूरी हो सके।]

मेरठ में सेन्ट्रल बैंक इम्पलाइज सैलरी आनर्स कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किये जाने की जांच कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर,जनपद मेरठ में सेन्ट्रल बैंक इम्पलाइज सैलरी आनर्स कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर बैंक की भांति कार्य कर लगभग 14 हजार जमाकर्ताओं का धन अपने यहां जमा करा लिया।

इन जमाकर्ताओं द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 4 करोड़ रुपया जमा किया गया था।

इस सोसायटी के सभी पदाधिकारी बैंक कर्मचारी थे, इन लोगों द्वारा बदनीयत अमानत में खयानत कर सारा पैसा डुबा दिया गया।

उल्लेखनीय बात यह है, इस सहकारी समिति में सहकारिता विभाग का अधिकारी भी सदस्य था। प्रत्येक वर्ष आडिट करने की नियमानुसार बाध्यता थी, खेदजनक स्थिति यह है, 15 वर्ष से आडिट भी नहीं किया गया था।

सारी जमा राशि को पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को लोन देकर डुबा दिया।

उपरोक्त सोसायटी ने गृह सहकारी समिति गठित कर ली थी, 14 करोड़ की जमीन उसके पास है, मात्र इसका ठीक से प्रबन्धन कर जमाकर्ताओं की जमाधन की वापसी की जा सकती है, दोषियों के विरुद्ध रा0 सु0 का0 जैसे कानूनों में कार्यवाही आवश्यक है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

डा0 सुशील चौधरी-

[महोदय, इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है तथा विभाग में कार्यरत अधिकारी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इस विभाग में किस प्रकार फर्जी नियुक्ति की गई है जिन्हें नियुक्ति का अधिकार भी नहीं था उनके द्वारा भी नियुक्तियाँ की गई हैं तथा निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनियमित नियुक्त कार्मिकों को निदेशालय पत्र संख्या-सी-180/बा0वि0परि0/स्था-2/2003-2004, दिनांक 8-5-2003 एवं पत्र संख्या-सी-181/बा0वि0परि0/स्था-2/2003-2004, दिनांक 8-5-2003 के द्वारा विनियमित भी कर दिया गया जबकि पूर्व में अवैध रूप से नियुक्त इन कार्मिकों एवं अन्य कार्मिकों के प्रत्यावेदनों को पत्र संख्या-160, दिनांक 20.4.02; पत्र संख्या-सी-27, दिनांक 4-4-02; पत्र संख्या सी-24, दिनांक 4-4-02, पत्र संख्या-सी-162, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या-सी-133, दिनांक 19-4-02; पत्र संख्या-331-33, दिनांक 12-4-02; पत्र संख्या सी-35, दिनांक 6-4-02; पत्र संख्या सी-22, दिनांक 4-4-02; पत्र संख्या सी-155, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या सी-26, दिनांक 4-4-02; पत्र संख्या-सी-159, दिनांक 2-4-02; पत्र संख्या सी-119, दिनांक 18-4-02; पत्र संख्या सी-148, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या सी-23, दिनांक 4-4-02; पत्र संख्या सी-158, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या सी-156, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या-सी-154, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या सी-324-26, दिनांक 12-4-02; पत्र संख्या सी-134, दिनांक 19-4-02; पत्र संख्या सी-157, दिनांक 20-4-02; पत्र संख्या-सी-337-39, दिनांक 12-4-02; पत्र संख्या सी-31 दिनांक 6-3-02; पत्र संख्या सी-28, दिनांक 6-4-02; पत्र संख्या सी-30 दिनांक 6-4-02 पत्र संख्या-सी-334-36 दिनांक 12-4-02; पत्र संख्या सी-33, दिनांक 6-4-02; पत्र संख्या सी-29, दिनांक 6-4-02; पत्र संख्या सी-34, दिनांक 6-4-02; पत्र संख्या सी-135, दिनांक 19-4-02; पत्र संख्या सी-21, दिनांक 6-4-02 के माध्यम से तत्कालीन निदेशक द्वारा निस्तारित कर दिया गया था शासनादेश संख्या 1390/26-सेल 205/85 दिनांक 10-1-86 के द्वारा निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत समस्त संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकारी अपर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 में निहित था किन्तु विभिन्न मण्डलों में सहायक निदेशक, समाज कल्याण, उप निदेशक समाज कल्याण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 1986 एवं 18 दिसम्बर के पश्चात् कुल 86 लिपिकों को नियुक्त कर अनियमित रूप से करोड़ों रूपये की वसूली इन नियुक्तियों से की गई है। इन कर्मचारियों को विभाग द्वारा लगातार समस्त सुविधा प्रदान करते हुये अब तक सरकार पर करोड़ों रूपये का वित्तीय भार लादा जा चुका है।

अतः मैं माँग करता हूँ कि अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये दण्डित किया जाये और सरकार पर पड़ रहे वित्तीय भार को तत्काल रोका जाये।]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस (23 जनवरी) को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महोदय, देश की आजादी की लड़ाई में अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा क्रांतिकारियों की अहम भूमिका रही, जिनके कारण हमारे देश को 15 अगस्त, 1947 को आजादी प्राप्त हुई। इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वालों में राष्ट्र नायक क्रांतिवीर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भी रहे। नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी, को राष्ट्रीय अवकाश (सार्वजनिक अवकाश) घोषित करने की मांग प्रदेश में की जा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है। इलाहाबाद में भी कई वर्षों से यह मांग की जा रही है पिछले वर्षों में इस हेतु प्रबुद्ध नागरिकों, बंगाली समाज, राजनैतिक दलों ने धरना, प्रदर्शन आदि किया है।

25 दिसम्बर, 2004 को इलाहाबाद में स्थित नेताजी की प्रतिमा स्थल पर बंगाली सोशल एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने धरना दिया तथा नेताजी की स्मृति में उनके जन्म दिवस को अवकाश घोषित करने की मांग की। मैंने 27-12-2004 को पत्र द्वारा मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि जन-जन की भावना को दृष्टि में रखकर 23 जनवरी को प्रदेश में अवकाश घोषित किया जाए।

उक्त विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, हरदोई जनपद के तहसील मुख्यालय बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करायी गई है तो भू-राजस्व अभिलेखों में उक्त केन्द्र के नाम दर्ज हो गई है तथा जिला योजना में भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, परन्तु निर्माण हेतु धन उपलब्ध नहीं हो सका है जिससे तहसील स्तर की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के सदर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर कुशवाहा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-सदर गाजीपुर में वर्ष 2003-2004 में शासनादेश के अनुसार मेरे द्वारा दस ग्रामों का चयन समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित किया गया। मेरे द्वारा चयनित सहायपुर, सोनवरसा, चक सिकन्दरा, तरौती, रायपुर तियरा ग्रामों को अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जोड़ा गया है जिससे ग्रामीण जनता को काफी परेशानी हो रही है तथा शासनादेश का भी उल्लंघन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना को स्वीकृत करते हुये तत्काल शासन को निर्देशित कर कार्यों को पूर्ण कराने की कृपा करें।]

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मचारियों की समस्याओं का निदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशल किशोर-

[माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय जायज मांगों जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :-

(1) समयमान/प्रोन्नत वेतनमान के स्वीकृत आदेश को लागू किया जाना।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) एक मुश्त कर्मचारियों को मूल वेतन भत्ता अन्तरिम राहत के रूप में तत्काल लागू किया जाना।

(3) 168 विभिन्न संवर्गीय पदों का स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित/स्वीकृत कराया जाना।

(4) निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01-01-1996 से वेतनमान दिया जाना।

उपरोक्त मांगों के निस्तारण हेतु विगत 5 फरवरी, 2005 से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, उनकी मांगों को हल करने के सम्बन्ध में मैंने दिनांक 10 फरवरी, 2005 को समाज कल्याण आयुक्त/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। परन्तु शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप निगम का पूरा कार्य 10 दिन से ठप हो गया है तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, विभाग के अर्धीन कार्यरत वक्फ निगम, अल्पसंख्यक आयोग, सर्वे वक्फ आयुक्त कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, रजिस्ट्रार मदरसा अरबी-फारसी बोर्ड, वसीका कार्यालय, शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मचारी संघों ने इनके समर्थन में कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जिससे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के गणमान्य व्यक्तियों को अपने कार्यों को कराने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि निगम में कार्यरत कर्मचारियों को इतना कम वेतन मिल रहा है कि वर्तमान भीषण महंगाई के दौर में उनको जीवकोपार्जन करना मुश्किल हो रहा है और कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

मान्यवर, यह अत्यत महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है। अतः आप इसे नियम-301 में स्वीकृत करके इस पर सदन में चर्चा कराकर अल्पसंख्यक निगम के कर्मचारियों की उक्त समस्याओं का निराकरण कराने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर की लक्ष्मणपुर कालोनी में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल समस्या का निदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बर्नीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं कि जनपद सुल्तानपुर में लक्ष्मणपुर कालोनी में आज तक नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर की जल कल की पाइप लाइन न होने के कारण पीने के पानी का अत्यधिक संकट व्याप्त है। जबकि इसी मुहल्ले के शास्त्री नगर वार्ड, विवेकानन्द नगर में जल निगम की 40 हजार लीटर की पानी की बड़ी टंकी आज के लगभग 15 वर्ष पहले से बनायी गयी है। यह भी जानकारी में आया है कि कई वर्ष लक्ष्मणपुर कालोनी में पाइप लाईन बिछाने हेतु जल निगम को 25 लाख धन उपलब्ध कराया गया था, परन्तु आज तक पाइप लाइन न बिछाये जाने के कारण लक्ष्मणपुर कालोनी के नागरिकों को पीने के पानी का अत्यधिक संकट है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक हित अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15-02-05 को नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई। इनमें एक सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कम समय दिये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की महामहिम राज्यपाल के सम्बन्ध में मा0 नगर विकास मंत्री की कथित टिप्पणी के सम्बन्ध में है। यह अखबारों का तथ्य है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पहली सूचना हमारी है, पहले आप इसे सुन लीजिये, यह बहुजन समाज पार्टी के विधायक का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, पहले नियम-300 पर बोल लेने दीजिए फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा।

माननीय मौर्य जी सदन के दो माननीय सदस्यों, एक नेता सदन और दूसरे नेता विरोधी दल, को विशेषाधिकर है वह जब चाहें तब किसी भी विषय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और सदन को उसे शान्तिपूर्वक सुनने देना चाहिए, यह परम्परा होनी चाहिए। अगर नेता विरोधी दल किसी विषय पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता मिलती है। आप उन्हें सुन लेने दें। पहले नियम-300 हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु निर्धारित दिनों की संख्या कम किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, विधान सभा का संचालन नियमों के अन्तर्गत और परम्पराओं के अन्तर्गत होता है। बजट की सामान्य चर्चा के लिए पांच दिन होने चाहिए और बजट में निहित अनुदानों की मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 24 दिन का समय होना चाहिए, यही परम्परा और नियम है। जब ऐसी आदर्श परिस्थितियां हुई हैं तो बजट पर सामान्य चर्चा के लिए पांच दिन और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के 24 दिन का समय मिला है, तब नियम-52 और नियम-103 की सूचनायें नहीं ली जाती थीं, लेकिन जब इस वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, मैं उस कार्य-मंत्रणा समिति का सदस्य हूं, इसमें जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मान्यवर, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नियमों का, कार्य-संचालन की परम्पराओं का जब विधान सभा से ताल्लुक होगा तो विषय रखना अन्याय है। मान्यवर, आप देखें 24 दिन के स्थान पर मात्र 9 दिन आवंटित हुए हैं विभागों की ग्रान्टवार डिस्कशन

के लिए और बजट की सामान्य चर्चा के लिए जो 5 दिन मिलते हैं उसमें 4 दिन मिल रहे हैं। इस तरह से कल मिलाक 29 दिन के स्थान पर 14 दिन का समय मिल रहा है, इस तरह से 15 दिन का समय कम हो गया है। उसके बावजूद भी मान्यवर, नियम-103 और नियम-52 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी, यह कहा जा रहा है। मान्यवर, नियम-103 और नियम-52 की सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनका बजट पर बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है, उनका संसर्ग नहीं होता है।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप देखें जो समय मिल रहा है चर्चा का और जो नियम-103 और नियम-52 में सूचनाओं पर चर्चा की बात है, कम से कम इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। 24 दिन और 5 दिन का समय न मिलना और उसके स्थान पर 9 दिन और 5 दिन का समय मिलना, और दूसरी तरफ नियम-103 व नियम-52 की सूचनाओं का न लिया जाना, तो यह हमारा एक महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह कोई औचित्य का प्रश्न इसलिए नहीं है कि जिस नियमावली का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी नियमावली में यह उल्लेख है कि जब यह कार्यक्रम तय होता है तो उसमें दो लोगों की सहमति होती है सरकार की ओर से माननीय नेता सदन या संसदीय कार्य-मंत्री जी की और विरोध पक्ष की ओर से माननीय नेता विरोधी दल की। यह दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि कितने दिन बजट पर चर्चा होगी। माननीय बाजपेयी जी, नेता विरोधी दल आपके नेता भी हैं। आपसे उन्होंने राय मशविरा नहीं किया था तो आप यहां इस को उपस्थित कर सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? आपकी उनसे नहीं पटती है तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है, उसकी सजा पूरे सदन को क्यों दी जाय इस तरह से समय बर्बाद करके। आप जानते हैं मान्यवर, कि नेता विरोधी दल के बगैर हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव नहीं आ सकता है, वहां नेता विरोधी दल प्रस्ताव पर दस्तखत कर आये।

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति में मैं भी विशेष आमंत्रिती सदस्य के रूप में हूं। नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर देखकर हमने भी उस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। आप बाजपेयी जी उनका विरोध यहां न करें भारतीय जनता पार्टी की विधान मण्डल दल की बैठक में करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपनी आदत के मुताबिक एक ढेला फेंकने का प्रयास किया है, इसे सारा सदन जान रहा है। माननीय नेता विरोधी दल मेरे नेता हैं और रहेंगे न हमारे बीच कोई मतभेद वाली बात है। मान्यवर, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर जो तय किया है उस पर हमने कोई आपत्ति नहीं की है। लेकिन जो विधान सभा की परम्परायें हैं, व्यवस्थायें हैं, उनका उल्लेख किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर इस तरह से बातें करके माननीय बाजपेयी जी माननीय टण्डन जी के लिए कुछ कहेंगे तो उसे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने उनके निर्णय को चुनौती नहीं दी है। अगर नेता, विरोधी दल और नेता सदन की सहमति से कोई कार्यक्रम निर्धारित हो गया है तो उसमें कोई असहमति नहीं है। लेकिन मान्यवर, नियम-103 और नियम-52 की सूचनाओं को जो लेने की बात है वह तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है उसमें तो नेता सदन और प्रतिपक्ष की कोई सहमति की बात नहीं है, उसमें तो उनकी कोई मनाही नहीं है तो उन सूचनाओं को आप स्वीकार कर लीजिये। मान्यवर, यह जो कहा जा रहा है कि बजट सत्र में चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे इसलिए नियम-103 और नियम-52 की सूचनाओं को नहीं लिया जायेगा, उस पर मैंने अपना औचित्य का प्रश्न उठाया है। आप मान्यवर, यह व्यवस्था दे दें कि हम नियम-103 और नियम-52 की सूचनाओं को सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आप कृपया नियमावली का नियम-188 देखें। उसमें है मांगों पर मतदान-(1) अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिये 24 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे। यह अध्यक्ष और नेता सदन का मामला है, इसमें नेता विरोधी दल की बात नहीं है।

आप इसका दूसरा खण्ड देखें उसमें है-(2) उपनियम (1) के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें।

कौन सा बजट किस दिन लिया जायेगा, इसमें उनकी सहमति की बात है, दिन में नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, निर्णय लेने के बाद कार्य-मंत्रणा समिति की स्वीकृति के लिए आता है उसमें बाजपेयी जी भी सदस्य हैं वहां तो आप हां करते हैं और यहां आकर उस निर्णय का विरोध करते है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने कहीं कार्यमंत्रणा समिति के औचित्य पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। मुझे कोई समस्या नहीं हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि नियम 103 और 52 की सूचना स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

आय-व्ययकों की चर्चा के बारे में जो माननीय वाजपेयी जी ने प्रश्न उठाया है, उसमें आप कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसके दो हिस्से हैं एक के बारे में तिवारी जी ने उठाया है, एक तो वह है और दूसरा वाजपेयी जी ने उठाया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने मान्यवर, कोई प्रश्न नहीं उठाया है।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, लेकिन तिवारी जी का कहना है कि आपने उठाया है।

मान्यवर, इतनी स्वस्थ परम्परा पड़ी है कई वर्षों बाद कि नेता सदन और नेता विरोधी दल के बीच एक रिश्ता पैदा हुआ है।

(ब0स0पा0 के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर खुशी का इजहार करने पर)

इसमें क्या बुराई है ? मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि बहुत खुश होने वालों को इस बात पर शर्म आनी चाहिये कि डेढ़ साल जब मैं नेता विरोधी दल रहा तो हमें कभी नहीं मालूम हो सका कि सदन कब शुरु करेंगे, बैटक कब होनी हैं ? कितनी होनी है ? अब यह पुरानी परम्परा वर्षों बाद शुरु हुई है इसलिये कुछ शर्म करें। यह इस सदन में जो रिश्ता नेता सदन और नेता विरोधी दल का रहना चाहिये उसको पुनर्जीवित किया गया है। अगर इस पर एतराज है किसी अमुक दल को तो मैं यह कहूंगा कि यह एतराज की बात नहीं है, शर्म की बात है। जैसा मान्यवर, आपका निर्देश होगा उसका पालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी, इस पर विचार कर लीजियेगा, जो आपने औचित्य का प्रश्न उठाया है।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि सरकार के द्वारा एक टेन्टेटिव प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें नियमावली के अनुसार जितने दिन उसमें निश्चित है, वह होते हैं और उसमें नेता विरोधी दल की सहमति की भी आवश्यकता होती है। अब इसमें कोई असहमति का प्रश्न नहीं होता है और जो सरकार ने भेजा है वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारा प्रोग्राम फाइनल होता है तो पहली बार जो कार्यक्रम फाइनल हुआ है उसमें जैसा वाजपेयी जी की अपेक्षा है उसी तरह का सारा कार्यक्रम उसी तरह तय हुआ था लेकिन उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में किसी फेरबदल की आवश्यकता हुई तो आपने दूसरी बैठक बुलायी उस बैठक में मैं नहीं पहुंच पाया था। वाजपेयी जी उसमें थे लेकिन यह जो इसमें आया है, एजेन्डा है यह शायद उससे भिन्न है यह जरा भ्रम दूर हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मिल बैठक हम लोग बात कर लेंगे।

महामहिम राज्यपाल के संबंध में नगर विकास मंत्री की कथित टिप्पणी पर औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

वह बनता नहीं है। अखबारों में छपी खबरों का हम संज्ञान नहीं लेते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मुझे सुन लीजिये। [xxx]

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में सदन को सूचना देनी है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मुझे सुन लीजिये, [xxx]

श्री अध्यक्ष-

आप इतने विद्वान हैं, वह औचित्य का प्रश्न नहीं है। कहीं आपकी विधान सभा की कार्यवाही बाधित हुई, वह औचित्य का प्रश्न नहीं है कि अखबारों का संज्ञान लेकर अपनी बात कहें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल, मंत्रिगण और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और ये महामहिम के विरुद्ध कोई गलत बात बोलें तो उसको उठाने का अधिकार मुझे प्राप्त है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि महामहिम राज्यपाल अपने सेक्युलर होने का सबूत दें। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल अनपढ़ भी हो सकता है। यह बात संविधान विरुद्ध है। महामहिम के बारे में इस तरह की कोई बात कहना किसी तरह उचित नहीं है। मान्यवर, यह सरकार का कथन है या मंत्री का कथन है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप विद्वान आदमी हैं, यह किसी भी तरह नियमों में नहीं आता। आप स्थान ग्रहण करें।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, वह सेक्यूलर हैं और इसके लिये किसी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

श्री उदयभान सिंह, सदस्य, विधान सभा को पैरोल पर रिहा किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के संबंध में इस सचिवालय की बुलटिन संख्या-64, दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ने अपने टेलेक्स दिनांक 13 फरवरी, 2005, जो इस सचिवालय में दिनांक 14 फरवरी, 2005 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री उदयभान सिंह, सदस्य, विधान सभा को शासनादेश संख्या 445/जे0 एल0/22-3-03-800 (54)/2002, दिनांक 10 फरवरी, 2005 के अनुपालन में दिनांक 12 फरवरी, 2005 से सात (7) दिनों के लिये पैरोल पर रिहा किया गया है। उनके समर्पण की तिथि 20 फरवरी, 2005 है।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को ले रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 फरवरी, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 12 फरवरी, 2005 से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-दिनांक 14 फरवरी, 2005 को प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 12 फरवरी, 2005 से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2005

---

12 शनिवार 13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
15 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
16 बुधवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2-<u>5.00 बजे अपरान्ह</u> वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।
17 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। (अन्तिम दिन)
22 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
23 बुधवार	1-<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u> 1-वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 18 फरवरी, 2005 के स्थान पर)

24 गुरुवार — बैठक नहीं होगी।

25 शुक्रवार — 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)
2-विधायी कार्य (आधा दिन)

26 शनिवार, 27 रविवार — बैठक नहीं होगी।

28 सोमवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

मार्च, 2005

1 मंगलवार, 2 बुधवार, 3 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

4 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

5 शनिवार, 6 रविवार, 7 सोमवार — बैठक नहीं होगी।

8 मंगलवार — बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि का अवकाश)

9 बुधवार, 10 गुरुवार, 11 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 शनिवार, 13 रविवार — बैठक नहीं होगी।

14 सोमवार, 15 मंगलवार, 16 बुधवार, 17 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

18 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-<u>3.00 बजे अपराह्न</u>

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

19 शनिवार, 20 रविवार — बैठक नहीं होगी।

21 सोमवार — असरकारी दिवस (दिनांक 04 एवं 11 मार्च, 2005 के स्थान पर)

22 मंगलवार — 1-असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 18 मार्च, 2005 के स्थान पर)
2-विधायी कार्य (आधा दिन)

23 बुधवार, 24 गुरुवार — विधायी कार्य।

25 शुक्रवार, 26 शनिवार, 27 रविवार — बैठक नहीं होगी। (होली का अवकाश)

28 सोमवार, 29 मंगलवार — विधायी कार्य।

*संसदीय कार्य,नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2005 को नियम-311 की छह सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से

---

*वक्ता ने अभिभाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यही सूचना अन्य माननीय सदस्यों की भी है, जिनके नाम इस प्रकार-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (श्री ओ0 पी सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री शिवचरण प्रजापति, चौधरी घू राम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, डा0 रमेश चन्द्र विन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद और श्रीमती अर्मीता सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री मुन्शी लाल गौतम। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं। तीसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की प्रदेश में कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनाज को बांग्लादेश, बिहार, बंगाल तथा नेपाल को भेजे जाने के सम्बन्ध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री राम इकबाल सिंह, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' और श्री सुरेश कुमार खन्ना।

(बसपा के सभी सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी सूचना का क्या हुआ ?

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-*

मान्यवर, मैंने जो नोटिस दिया है उसमें बड़ी व्यापक परिस्थिति है, सारी समस्याओं का उसमें वर्णन है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और यह सरकार नियन्त्रण नहीं कर पा रही है। मान्यवर, इन सारी बातों को मैं विस्तार से रखना चाहूंगा लेकिन दूसरे दल जिनका सिटिंग विधायक मारा गया है, उनको मैं पहले समय दे देता हूं, वह अपनी बात कह लें उसके बाद मैं इस पर विस्तार से अपनी बात कह लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में सूचना दी थी। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, हम समय-समय पर आपसे संरक्षण मांगते हैं। मान्यवर, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला हुआ है। पांच-छः दिन पहले एक पत्रकार ने अनुरोध किया था कि लखीमपुर की पुलिस किसी न किसी झूठे मामले में फंसा देगी।

---

* वक्ता ने अभिभाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप मौर्या जी को बोलने दीजिए। यदि आप ही बोल लेंगे तब फिर अग्राह्य का क्या मतलब रह जाएगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उसे बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, समीउद्दीन उर्फ नीलू अमर उजाला का पत्रकार है, जिसकी रिपोर्टिंग पर 22 लोगों सस्पैंड कर दिया गया। उसकी रिपोर्टिंग पर ही एक हत्या के मामले में तीन एस0ओ0 सस्पैंड हुए।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, बैठिये। अब लिखा नहीं जायेगा। यह सूचना आप कल दीजिएगा। आज इससे भी ज्यादा गम्भीर मामला है।

(संसदीय कार्य-मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जिस बात के लिए चिंतित हैं, वह सामने आनी चाहिए, माननीय सदस्य की सहायता होनी चाहिए और उनकी जानकारी बढ़नी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए। आपको, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन को विशेषाधिकार प्राप्त है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इतने वरिष्ठ सार्थी को जानकारी मिल जाए यह कम सहयोग होगा। माननीय सदस्य ने अपनी बात कहने में काफी कैलोरी खर्च कर दी है। मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं।

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

प्रेस कौंसिल आफ इण्डिया,

नई दिल्ली।

महोदय,

कृपया निवेदन है कि बरेली से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला के लखीमपुर में कार्यरत समीउद्दीन उर्फ नीलू को स्पेशल आपरेशन ग्रुप की पुलिस टीम ने 10 फरवरी, 2005 को रात्रि में सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भंसड़िया में वन्य जीव जन्तु अधिनियम के तहत गैंडे की सींग,

सागरमल्ल की खाल, शेर के नाखून व कीमती चन्दन की लकड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उक्त पकड़े माल की कीमत लगभग 20 लाख रुपये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में है।

महोदय, इस तरह की तस्करी करने वाले पत्रकार समाउद्दीन उर्फ नीलू के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए जिससे भविष्य में समाज के चौथे स्तम्भ पर किसी प्रकार का आरोप न लगाया जा सके।

इस पर जो हस्ताक्षर हैं, वह हैं-

1-श्री संजीव पाण्डेय, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, लखनऊ।

2-श्री राजीव दीक्षित, ब्यूरो चीफ, जनसत्ता, ब्यूरोकार्यालय, लखीमपुर।

3-श्री लेखराम भारती जिला संवाददाता, दैनिक स्वतंत्र भारत, लखनऊ।

4-श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, रिपोर्टर, दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ।

5 श्री श्यामजी अग्निहोत्री, ब्यूरो चीफ, सहारा समय व दूरदर्शन इलेक्ट्रानिक चैनल।

6-श्री गयेन्द्र मिश्र, दैनिक जागरण, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसकी जांच करा ली जाए। कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ पत्र में कुछ भी लिख सकता है। आप जांच करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौया जी, अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-311 की सूचना जो विधायक राजू पाल की हत्या से संबंधित है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज कायम है। नित्य-प्रति हत्यायें हो रही हैं। ....

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी संरक्षण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसको सुन लीजिए। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर क्या कहेंगे ? आप आश्वासन दे दीजिए, बाद में सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप मौया जी को बोलने दीजिये। आप बैठ जायं।

श्री राम इकबाल सिंह-,

मान्यवर, आप मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न आपका है इसी से संबंधित है। कानून व्यवस्था पर जब आप बोलेंगे तो यह बात भी आ जायेगी।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, घोटाला और कानून व्यवस्था अलग चीज है। एक चर्चित घोटाले के संबंध में उन्होंने उठाया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत सूचना माननीय राजू पाल की इलाहाबाद में हुयी हत्या के संबंध में आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि प्रदेश सरकार के जंगल राज का शिकार हुआ है और यह हत्या इसका जीता जागता नमूना है। मान्यवर, 25 जनवरी, 2005 को सलेमसराय में अमितदीप मोटर्स कम्पनी के सामने दिन दहाड़े शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या हुयी। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज समय-समय पर जब हम प्रदेश में चल रहे गुंडा राज के बारे में आपके माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं तो समय-समय पर सरकार की तरफ से आश्वस्त किया जाता है कि बेहतर कानून व्यवस्था का राज हम देंगे लेकिन आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है और बड़े पैमाने पर हत्यायें, डकैती, बलात्कार और अपहरण की घटनायें हो रही हैं और बेतहाशा बढ़ी हैं। अभी तक बिहार कुख्यात था अपराधों के मामलों में लेकिन जो अपराध 15 साल में बिहार में पैदा हुये हैं वही अपराध प्रदेश में 15 महीनों की समाजवादी पार्टी की सरकार में पैदा हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति और जंगलराज की स्थिति आज पैदा हो गयी है उससे कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम जनता की क्या स्थिति होगी जब यहां पर चुने हुये जन प्रतिनिधि हत्या के शिकार होंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या हुयी है लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी कुछ समय पहले इसी जंगल राज के चलते हुये एक समाजवादी पार्टी के विधायक की हत्या हुयी थी और लोक सभा चुनाव के दर्मियान भा0ज0पा0 के एक विधायक की दुर्घटना दिखाकर उसको मौत का शिकार बनाया गया था जिसकी सी0बी0आई0 जांच प्रचलित है। 15 महीने की समाजवादी पार्टी की सरकार में 3-3 विधायक हत्या के शिकार हुये हैं। मान्यवर, अन्य हत्यायें जो हुयी हैं उनका स्वरूप कुछ और था लेकिन विधायक राजू पाल की हत्या का स्वरूप कुछ और है। राजू पाल की यह हत्या एकाएक नहीं हुयी। जिस दिन से वह विधायक चुने गये उसके तीसरे दिन उन पर हमला हुआ और उनकी हत्या का प्रयास किया गया। दिनांक 3-11-2004 को जब अल्लापुर में पाल समाज द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में वह जा रहे थे तो कैंट, इलाहाबाद की पुलिस ने चौफटका पर रोक कर उनके लाइसेंसी असलहे ले लिये। यह

वहां के स्थानीय सांसद जो पहले पश्चिम क्षेत्र के विधायक थे जिनका भाई राजू पाल से हारा था उनके इशारे पर कैंट की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनके 8 लाइसेंसी असलहे जब्त कर लिये जबकि वह सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी थे क्योंकि उनको धमकियां मिल रहीं थीं कि 6 महीने से ज्यादा तुम विधायक नहीं रह पाओगे और 6 महीने बाद फिर विधान सभा का चुनाव होगा और किसी भी हालत में यह सीट हम फिर लेंगे। इस प्रकार से उनको धमकियां मिल रहीं थीं। इसके बाद दूसरी बार उन पर हमला हुआ 21-11-04 को जब वह अपने गांव में एक बर्थ डे पार्टी में शरीक होने गए थे। वहां पर 7 लोगों द्वारा हमला किया गया उसकी एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की गई। उसके बाद राजू पाल ने अपने घर पर एक मंदिर बनवाया था जिसके लिए 30-12-2004 को एक बड़े भण्डारे का आयोजन किया गया और उसमें अपने पश्चिमी क्षेत्र के बहुत से लोगों को आमंत्रित किया और उसी आमंत्रण के तहत वह लोगों को निमंत्रण-पत्र देने जा रहे थे कि 28-12-2004 को तीसरी बार हमला हुआ जो सायं 4.00 बजे के करीब नीवा के पास हुआ था। जिसके लिए 29-12-2004 को धूमन थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज हुई उसमें अशरफ को नामजद किया गया जो हारा हुआ प्रत्याशी था लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते सत्ता के निर्देश पर जांच पड़ताल में उसको एफ0आई0आर0 से बाहर कर दिया गया। उस हमले में राजू पाल के दो साथी घायल हुए थे और हमलावर का भी एक साथी घायल हुआ था इसमें अशरफ की नामजदगी थी उसी की मौजूदगी में घटना घटी लेकिन उसका नाम एफ0आई0आर0 से बाहर कर दिया गया।

मैंने कल जो निधन के निर्देश के समय बातें रखी थीं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। श्री राजू पाल ने सुरक्षा की गुहार विभिन्न जगहों पर प्रमुख सचिव, गृह, मुख्य मंत्री और महामहिम राज्यपाल महोदय से की थी और अनुरोध किया था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। महामहिम राज्यपाल महोदय के विशेष सचिव श्री ओझा ने प्रमुख सचिव गृह को लिखित निर्देश दिया था कि श्री पाल की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाय लेकिन वह नहीं हुई। अगर उसी समय उनकी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई होती और जिन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई कर दी गई होती तो किसी की यह हिम्मत नहीं होती और राजू पाल को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 25-1-2005 को विधायक राजू पाल की हत्या होती है इससे ज्यादा शर्मनाक, खौफनाक और दर्दनाक जो मानवता को झकझोर कर रखने वाली दूसरी घटना घटित हुई कि उनकी लाश का रातों रात पोस्टमार्टम कराकर गुपचुप तरीके से लाश गायब कर दी जाती है या जला दी जाती है यह पुलिस वाले न बताना चाहते हैं न राजू पाल के परिवारी जन जानते हैं और न ही बहुजन समाज पार्टी से सम्बन्धित कोई साथी जानता है। मैं कहना चाहता हूं कि कुख्यात से कुख्यात अपराधी भी अगर पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है जैसे अभी यहां पर कोई कालिया नाम का अपराधी मारा गया उसकी लाश उसके परिजनों को सौंपी। उससे पहले कुछ कुख्यात अपराधी मारे गये और उनकी लाश उनके परिजनों को सौंपी गई। वीरप्पन जैसा कुख्यात अपराधी पुलिस के द्वारा मारा गया तो उसकी लाश उसके परिजनों को सौंप दी गई। लेकिन मान्यवर, क्या कारण है कि विधायक राजू पाल जोकि नव निर्वाचित विधायक था हजार, पचास हजार नहीं 75 हजार वोट पाकर विधायक बना था। 75 हजार लोगों ने जिसको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया था रातों-रात चोरी-चोरी पोस्टमार्टम करके जिस तरीके से उसकी लाश को जलाया

गया है। मान्यवर, यह प्रशासन की मानवीय संवेदनशून्यता को जाहिर करता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इसके पीछे गुप-चुप तरीके से पोस्टमार्टम कराना परिवारजनों के बार-बार अनुरोध पर भी परिवार को लाश न देना।

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 25 जनवरी को राजू पाल की हत्या होती है और 16 जनवरी को राजू पाल की शादी हुई थी। उसकी वि - पूजा पाल के मांग का सिन्दूर अभी धुला नहीं था कि ठीक 9 दिन बाद राजू पाल की हत्या हो जाती है। 9 दिन की विधवा पूजा पाल बिलख-बिलख कर रो रही थी जिला प्रशासन के समक्ष। घटना का विवरण हमने आपको घटना के 10 मिनट के अन्दर बताया था और आपसे अनुरोध किया था कि अपने स्तर से इसकी जांच करायें। आप हम सबके संरक्षक हैं विधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते। इसलिये हमने आपसे अनुरोध किया था, गुहार किया था। आपने अपने स्तर से इसकी सूचना भी मंगवाई थी आपको बाहर कहीं जाना भी था। आपके पास आधी अधूरी सूचना आई। तथ्यात्मक सूचना आपको भी नहीं मिली। यह खेद का विषय है कि विधान सभा का अध्यक्ष होने के बावजूद आई0जी0, डी0आई0जी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने भी आपके जैसे महत्वपूर्ण पद को भी गलत सूचना देने में कोई गुरेज महसूस नहीं किया। आपके चले जाने के बाद हमने इलाहाबाद के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हम रात को 12 बजे वहां पहुंच गये थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बी0आर0 वर्मा जो कभी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं वे भी वहां गये। मान्यवर, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि यह संवेदनशून्यता की चरम सीमा है। हमने 15 मिनट तक टेलीफोन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद, नगर पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद से जिलाधिकारी, इलाहाबाद से बात की। हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक इन्द्रजीत सरोज भी वहां पर मौजूद थे हम सबने उनसे अनुरोध किया लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी बैठक चल रही है, बैठक करने के बाद ही कुछ बता पायेंगे। मान्यवर, तीन बजे रात तक यह हम लोगों को गुमराह करते रहे। हम लोग वहां पर बैठकर बीच-बीच में पता करते रहे उन्होंने कहा कि ठीक है सुबह आप लोगों की मौजूदगी में लाश परिजनों के सामने सौंपकर जलवाई जायेगी, आप लोग इसमें हमारा सहयोग करें। हमने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी वाले अनुशासित होते हैं कभी भी कानून तोड़ने में विश्वास नहीं करते। कानून की रक्षा करने में सरकार का सहयोग देंगे। लेकिन मान्यवर, इसके बावजूद हम लोगों को गफलत में रखकर भोर के 4 बजे लाश को गुप-चुप तरीके से जला दिया गया। राजू पाल के न मौसेरा भाई है न फुफेरा भाई। सुबह जब हम लोग वहां जाते हैं तो कुछ लकड़ियां जलती हुई दिखाई पड़ती हैं। लाश जली या नहीं जली यह देख नहीं पाए। सुबह सात बजे तीनों लोग वहां राजू पाल दूसरे संदीप यादव और तीसरे देवी लाल पाल, दो अन्य साथी भी मारे गये थे इन तीनों की चिता में लकड़ी जल रही थी। वहां लाश हड्डी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ आक्रोशित थी। हमने उनसे संयमित रहने को कहा। कुम्भ का मेला चल रहा था हमने कहा, घाट है, मेला है यहां कोई भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोई बात नहीं होनी चाहिए वरना गलत संदेश जाएगा। शान्तिपूर्वक तरीके से सब लोग चले आए। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या कारण है बार-बार हमारे अनुरोध करने पर भी, परिवारजनों के अनुरोध पर भी उसकी विधवा पत्नी जो नौ दिन की विवाहिता थी और मां रानी पाल विधवा उसके अनुरोध पर भी, पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर भी, लाश को परिवारजनों को नहीं सौंपा गया यह चिन्ता का विषय है। इससे यह लगता

है कि सारे का सारा घटनाक्रम जो है इसमें कहीं न कहीं वहां के पूर्व विधायक फूलपुर के सांसद, जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके बड़े भाई हैं, उनका कहीं न कहीं हाथ नजर आता है इसमें वहां की जनता शंका जाहिर करती है। समय-समय पर माननीय नेता सदन इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोकतंत्र में हत्या का स्थान नहीं है। कोई जिन्दगी से खिलवाड़ करता है तो यह शर्मनाक है इन्होंने शोक संवेदना में चिन्ता जाहिर की है। उनकी चिन्ता स्वभाविक है। जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने वाले लोग हत्या का शिकार होंगे वह इस तरह से भक्षण का शिकार होंगे .....

श्री अध्यक्ष-

चर्चा करायेंगे उसमें आप कहिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैंने बात प्रस्तुत कर दी है ताकि गम्भीरता से संज्ञान लें।

श्री अध्यक्ष-

गम्भीरता समझ ली है। संक्षिप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके पूर्व मान्यवर, हमारे एक विधायक की दुर्घटना में मौत हो गई। परिवारजनों के कहने पर माननीय नेता सदन ने सी0बी0आई0 की जांच कराई। ताकि दूध का दूध पानी का पानी सब साफ हो जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी की चिन्ता स्वाभाविक है इन्होंने कहा कि इस तरह से किसी विधायक की हत्या चिन्तनीय है इस पूरे प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए इस पर मान्यवर, सरकार सी0बी0आई0 की जांच कराने के लिए केन्द्र को संस्तुति भेजें। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं आप सरकार से ऊपर हैं आप सत्तापक्ष और विपक्ष को दोनों को संरक्षण देते हैं, पीठ सबसे बड़ी होती है जो पीठ से निर्देश होते हैं उसके निर्वहन के लिए सब बाध्य होते हैं। आपकी इस पर कृपा होनी चाहिए आपकी तरफ से सरकार को इस बात के लिए इंगित किया जाना चाहिए कि इस पर सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए अन्यथा मान्यवर वहां पर जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है जिला प्रशासन की लापरवाही से यह हत्या हुई है इसमें जिला प्रशासन के लोग दोषी हैं मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है, इस बात को स्वीकार किया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। किसी विधायक की हत्या पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सी0बी0आई0 की जांच कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार किसी अपराधी को चाहे कितनी बड़ी हैसियत क्यों न हो, झोपड़ी में रहने वाले हों या हवेली वाले हों, कानून सबके लिए बराबर है।

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आ गई है इस पर निर्णय देने दीजिए। मौर्या जी ने पूरी बात कह दी है, नेता विरोधी दल भी उस पर बोलेंगे, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमोद कुमार जी भी बोलेंगे। माथुर आप कोई एक व्यक्ति तय कर लीजिए, जो भी बोलना चाहे। सारी बात आ गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, एक अनुरोध है, इस सूचना पर हमारी पार्टी के कई विधायकों ने दस्तखत किए हैं, वह सभी नहीं बोलेंगे लेकिन चूँकि इन्द्रजीत सरोज जी इलाहाबाद के रहने वाले है, जहाँ से राजू पाल विधायक थे, इसलिए इनको जरूर सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

सरोज जी, सारे तथ्य आ गए हैं, नियम-56 में जब सुना जाता है तो उसकी ग्राहयता पर ही बोलना चाहिए और उसी तक सीमित रखना चाहिए और जब चर्चा स्वीकार होती है तब सारी बातें आती हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के सदस्य श्री राजू पाल की हत्या के सम्बन्ध में नियम-311 में नोटिस दी गई है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, राजू पाल जी जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, वहीं मैं भी रहता हूँ। जब से राजू पाल जी निर्वाचित हुए थे तभी से उनकी हत्या का षड़यन्त्र स्थानीय पुलिस प्रशासन के माध्यम से अपराधियों ने रचना शुरू कर दिया था। 3 नवम्बर को वह पाल समाज के स्वागत समारोह में जा रहे थे, चौफटका जो मात्र उनके घर से 300 मीटर है, वहाँ पर पूरे क्षेत्र की पुलिस, जिनमें क्षेत्राधिकारी और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी उनको रोकने का काम करते हैं, उनके असलहे छीनने का काम करते हैं। जबकि उनके साथ एक भी गैर लाइसेंसी असलहा नहीं था फिर भी उन असलहों को पुलिस के अधिकारियों द्वारा जब्त करने का काम किया जाता है। जब अपने विधायक की गिरफ्तारी और उनके असलहे जमा कराने की बात जनता के लोग सुनते हैं तो वह आन्दोलित हो जाते हैं और थाने में अपने विधायक के समर्थन में जाने का काम करते हैं। जो वहाँ पर दो थाने हैं, कैंट और धूमनगंज जब लोग वहाँ पर जाते हैं कि उनके असलहे क्यों जमा कराए गए और उनको क्यों वहाँ पर बैठाया गया है, लगभग 400 लोग थे, तब इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का काम किया जाता है, वहाँ पर उनको पीटा गया, उनकी मूछें उखाड़ी गयीं, बाल उखाड़े गए, इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया। मान्यवर, श्री राजू पाल की हत्या में वहाँ का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इन्वाल्व है, यह हमारा और हमारी पार्टी का आरोप है क्योंकि 3 नवम्बर से ही उनकी हत्या की साजिश शुरू कर दी गई थी। 28 दिसम्बर को उनके गाँव में प्राणघातक हमला होता है, दो लोगों को गोली लगती है, वह अस्पताल में अभी भी हैं। वह बार-बार अपनी सुरक्षा की माँग करते रहे कि हमारी हत्या निश्चित तौर पर कर दी जायेगी लेकिन पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के शासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का काम नहीं किया। यह हमारा आरोप है। अगर समयबद्ध तरीके से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई होती तो राजू पाल आज हमारे बीच होते। 25 जनवरी को गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी हत्या हो गई। 26 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा मैं, तीनों लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के एस0एस0पी0, डी0एम0, कमिश्नर, आई0जी0, डी0आई0जी0 से बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पर बात हुई लेकिन मान्यवर, किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन नहीं माना। श्री राजू पाल जी की हत्या नहीं हुई बल्कि यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। क्या [illegible] प्रदेश में जो भी ऐसे लोग चुने जाएंगे तो उनकी हत्या होती रहेगी ? और इस सरकार के जिम्मेदार [illegible] कार्य मंत्री जी का टी0वी0 चैनलों में बयान आया कि राजू पाल पर 28 मुकदमे थे जिनकी बात बहुजन [illegible] करती है। मैं बताना चाहूँगा कि इन सब माननीय सदस्यों में ऐसी छवि वाले जो लोग हैं क्या उनकी [illegible] सरकार करा देगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई। अब आप बैठ जायें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी भी सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं। उनके मंत्रि-मण्डल के एक सहयोगी मंत्री के ऊपर आरोप लगा कि वह मधुमिता शुक्ला की हत्या में इन्वाल्व हैं। तो उन्होंने उन्हें अपने मंत्रि-मण्डल से हटाकर सी0बी0आई0 जांच कराने का फैसला किया था। यह नैतिकता है।

(इस पर श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री राम करन आर्य तथा श्री वसीम अहमद सहित कई सदस्य खड़े हो गये और अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

आपका लिखा नहीं जाएगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[× × ×]

(श्री सुखदेव राजभर जी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव राजभर जी, आप एक मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं केवल एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो सत्ता पर बैठता है तो वह पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा की गारन्टी देकर बैठता है कि कानून-व्यवस्था के मामले में जहां पर कमी होगी तो वह उसे दूर करेंगे। आज सदन में बैठकर 5 घण्टे केवल ग्राह्यता पर बोलें। आज एक माननीय सदस्य जो 26 जनवरी को झण्डा फहराता है ..... व्यवधान।

(श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री वसीम अहमद के एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो हमारे एक विधायक, सांसद की हत्या हुई।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)-

मान्यवर, संसद के पास हमारी सांसद फूलनदेवी की हत्या हुई तो नैतिकता कहां थी।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय सदस्य बोलें, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है।

मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस सदन से पूरे प्रदेश में खबर जायेगी कि सभी विपक्ष और पक्ष के माननीय विधायक एक ही मांग कर रहे थे। इससे प्रदेश सरकार की पारदर्शिता झलकेगी। मान्यवर, पीठ का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस पर कोई बहस न करके जैसा कि अभी माननीय सरोज जी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है इसकी सी0बी0आई0 जांच करा लें। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री शारदानन्द अंचल-

जिस समय फूलन देवी की हत्या हुई थी उस समय आपकी नैतिकता कहां चली गयी थी ?

श्री वसीम अहमद-

जिस समय श्री राज्यपाल जी के गेट के सामने मंजूर साहब की हत्या हुई थी, उस समय आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया था। उस समय आपकी नैतिकता कहां चली गयी थी ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, सी0बी0आई0 की जांच करा दें। आज इस सदन की पीठ की परीक्षा की घड़ी है। मैं कोई लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं। इसी सदन के एक विधायक को गोलियों से चिथड़ा कर दिया गया।

(व्यवधान)

यह सब हिस्टीरिया के मरीज हैं, इनको दौरा पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। अब मैं हुकुम सिंह जी का नाम पुकार रहा हूं। आपका अब कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

[× × ×]

(श्री हुकुम सिंह द्वारा खड़े होकर बोलने पर)-

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। मैंने हुकुम सिंह जी का नाम पुकार लिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कौन सदस्य बोलेगा, यह अधिकार आपका है या माननीय टण्डन जी का है। अगर टण्डन जी का है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लें, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि क्या यह उचित होगा कि एक दल के नेता खड़े हों और आप इन्हें बोलवा दें ?

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह सदन ठीक से चले इसलिए मैंने सोचा पहले यह लोग अपनी बात कह लें मैं बाद में बोल लूंगा। जो हमारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है उस पर हुकुम सिंह जी के भी दस्तखत हैं, कल शायद वह उपस्थित न हो पायें इसलिए उन्हें बोल लेने दें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे जो वर्तमान विधायक थे उनकी निर्मम हत्या हुई है, इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना आग्रह जरूर करूंगा, स्थानीय प्रशासन की उस हत्या में संलिप्तता की पूरी आशंका है, ऐसी स्थिति में अगर इसकी जांच कोई केन्द्रीय एजेन्सी नहीं करेगी और स्थानीय एजेन्सी ही इसकी जांच करेगी तो यह जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश हो जायें तो बहुत अच्छी बात होगी। मान्यवर, इसमें आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस हत्या में बड़े-बड़े लोगों का हाथ है और स्थानीय प्रशासन का उन पर विश्वास न हो, इसलिए इसमें सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में मान्यवर, चाहे हत्यायें हों, चाहे लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, बसों को नेशनल हाईवे पर, राज मार्ग पर रोक कर लूटा जा रहा है, इससे जनता में सन्देश क्या जाएगा। एक जिले में मान्यवर, निर्मम तरीके से इस तरह से ट्रैक्टर चला करके मारा गया है जब तक कि उसकी हड्डी, पसली एक में न मिल गई तो इस स्थिति में इस प्रशासन का क्या होगा ? जहां इस तरह की घटनायें हो जायें तो क्या वहां यह जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि स्थानीय प्रशासन उन अपराधियों को पकड़े ? आखिर उन्हें पकड़ने की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

(किसी सदस्य द्वारा झूठ की आवाज निकालने पर)

आप जो कहें वह सब सच है। हम जो कहें वह झूठ है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये इस तरह की आवाजें नहीं होनी चाहिए, शान्ति बनाये रखें।

श्री हुकुम सिंह-

संजीदगी के साथ अगर हम इन सब बातों पर विचार न कर सकें तो शायद हम जनता के साथ न्याय न कर सकेंगे। मान्यवर, केवल दो मिनट में तीन पक्ष मैं रखना चाहता हूं, एक तो आम प्रशासन का हाल यह हो गया है कि घटना हुई और घटना करने के बाद दो-चार इन्काउन्टर उन्होंने कर दिया और अपने दायित्वों की इति श्री उन्होंने कर दी। मैं चाहूंगा कि कम से कम ऐसे कुछ इन्काउन्टर की 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की जांच आप करवा लें, जो भी इस प्रकार के इन्काउन्टर हुए हैं। केवल थानों में चार्ज लेने के लिए, गुडवर्क दिखाने के लिए उच्च अधिकारियों की शाबाशी पाने के लिए छोटे-छोटे अपराधियों को पकड़ कर उन पर पांच सौ रुपये, हजार रुपये का इनाम घोषित करके उनका इन्काउन्टर कर दिया और सोच लिया हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। दूसरी बात जब पुलिस की कस्टडी से बदमाशों को छुड़ा लिया जाए और उसके साथ ही साथ उनकी रायफलें भी लूट ली जायें .....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह एक सवा महीनें के अन्दर की घटना है, वहां के दुर्दान्त बदमाशों को पुलिस ले जा रही थी, गाड़ियों को रोककर मान्यवर एस0एल0आर0 छुड़वायी, बदमाशों को छुड़वाया गया और फरार हो गये वह एस0एल0आर0 दिल्ली में बरामद हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे बरामद नहीं कर पायी। मान्यवर, दस दिन के पहले की घटना है, मोदीनगर में, दिल्ली की पुलिस बदमाशों को ला रही थी, उसमें हेड कांस्टेबिल की हत्या की गयी, उसमें पुलिस की राइफलों को लूटकर बदमाशों को छुड़वाया गया। मान्यवर, आप देखें पुलिस वालों को मारकर कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल को मारकर बदमाशों को छुड़वाया जा रहा है इससे क्या उनका मनोबल बढ़ेगा नहीं अपराधियों का।

मान्यवर, आप इसका जरा तीसरा पक्ष देखें, जब भी किसी एस0एस0पी0 से बात करिये कि घटनायें बढ़ रही हैं तो वह यही कहते हैं कि क्या करें साहब हम किसी थाना इंचार्ज को नहीं हटा सकते हैं पूछकर थाना इंचार्ज को लगाना पड़ता है। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि जिन लोगों से यह सब पूछा जाता है क्या उनको थोड़े दिन के लिए समझाया नहीं जा सकता है कि इनको थोड़ा अपना भी काम कर लेने दीजिये जिससे उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी और एकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। मान्यवर, आज यह सब कारण बन रहे हैं अपराध बढ़ने के पूरे प्रदेश में। मान्यवर, मेरे पास केवल मेरठ जोन के आंकड़े हैं। हत्या की घटनायें हैं 1204, बलात्कार की घटनायें हैं 378, लूट 593, अपहरण 255, वाहन चोरी 4156, यह सारी की सारी घटनायें एक ही जोन की हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके पूरे प्रदेश के संदर्भ में ले जायें तो यह संख्या लाखों में पहुंच जायेगी। (विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम भयमुक्त समाज बना रहे हैं, लेकिन आज जो स्थितियां हैं पूरा समाज पूरे आतंक में रह रहा है। कोई मां बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजकर यह भरोसा नहीं कर पाता है कि उसका बच्चा वापस आयेगा या किसी फिरौती के बारे में टेलीफोन आयेगा। मान्यवर, फिरौती की बातें पहले चोरी से होती थीं। अब तो वह कार्यकाल आ गया है कि पुलिस की मौजूदगी में फिरौती की बातें होती हैं। लोग मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं कि चलो बच्चा वापस आ गया। पुलिस वाले उस मौजूदगी में कहते हैं कि चलिये आपका बच्चा तो वापस आ गया भले ही पैसे देने पड़ गये। फिर यह प्रदेश मान्यवर, कैसे रह पायेगा ? (व्यवधान)

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए। इस पर सामान्य चर्चा से काम चलने वाला नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इन बातों पर यहां बैठकर विचार करें, चिन्तन करें और इस प्रदेश को बचाने के लिए काम करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, काश इस दुखद घटना पर चर्चा करने का अवसर न मिलता तो ज्यादा उचित था, ऐसी घटना न घटित हुई होती तो ज्यादा उचित था। हमें अपनी दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर इन मामलों पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक हमारे विधायक की हत्या का मामला है। मुझे इस घटना से बहुत दुख हुआ है और पूरे दुखी मन के साथ मैं और मेरा दल इस घटना की निन्दा करता है। जो तथ्य यहां पर रखे गये हैं माननीय मौर्य जी द्वारा, माननीय राजभर जी द्वारा, माननीय इन्द्रजीत जी द्वारा और माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं मैं इस प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलते हुए जरूर कहना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार इस बात को बताये कि न्यायपालिका का साधारण सा सिद्धान्त है, लॉआफ जूरिसप्रूडेन्स का कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी

चाहिए। आप कितनी भी गिरफ्तारियां कर लें लेकिन अगर सामान्य जन को ऐसा लगता कि कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है तो आखिर सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है, उसकी कौन सी कमजोरी है कि इस मामले की जांच सी0बी0आई0 को भेजने में विलम्ब क्यों हो रहा है, आप वहां मामले को जांच के लिए भेज दीजिये जो दोषी होगा उसको सजा मिले। (बहुजन समाज पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह तोहमत आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ?

मान्यवर, यहां यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक की हत्या हुई और आंध्र प्रदेश में भी हुई । फर्क इतना है कि उत्तर प्रदेश में हत्या की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने की मांग की जा रही है और आंध्र प्रदेश में वहां के मुख्य मंत्री ने दूसरे दिन ही जांच के लिए सी0बी0आई0 को मैटर रेफर कर दिया है (कांग्रेस दल और बहुजन समाज पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट) तो आखिर वहां जांच के लिए इसे भेजने में आपके सामने क्या समस्या है ?

मान्यवर, क्यों मैं सी0बी0आई0 की जांच चाहता हूं, क्यों मेरा दल चाहता है इसके दो कारण हैं। कहीं तो हम भावनाओं में आयेंगे, कहीं तो हमारा दिल इससे पसीजेगा जहां हम दलीय सीमाएं भूल जायेंगे। ईश्वर न करे किसी के परिवार में ऐसी घटना हो कि जिस मां ने अपनी कोख से जन्म दिया हो, जिसने उसको पाला हो क्या उसको अधिकार नहीं है, उसका बेटा चाहे कितना खराब रहा हो उसकी हत्या की जाय और उसी शहर में वह मौजूद हो उसे उसका चेहरा देखना भी नसीब न हो उसके बाद भी चाहते हैं उसकी सी0बी0आई0 जांच न हो ? मान्यवर, 9 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उसके विवाह का अधिक समय नहीं हुआ था जिसका सिन्दूर पुछने जा रहा था, जिसकी मांग उजड़ रही थी, क्या उसको यह अधिकार नहीं था कि अपने बेटे का अंतिम दर्शन कर सके ? यह आपने नहीं किया, स्थानीय प्रशासन ने किया और उसी स्थानीय प्रशासन की जांच हो यह सदन कैसे उस जांच का भरोसा करे ? यह सदन इस सरकार से इसका जवाब चाहता है ? मैं इलाहाबाद का हूं, वहीं रहता हूं और प्रतापगढ़ से निर्वाचित होता हूं। यह 25 जनवरी की घटना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह 25 जनवरी का दिन क्या था, 26 जनवरी तो सबको याद है। मान्यवर, यह 25 जनवरी माघ की पूर्णमासी थी जिस दिन इलाहाबाद संगम पर पूर्वान्चल से लगभग 20 लाख लोग माघ मेले में स्नान करने आते हैं।

मान्यवर, जी0टी0 रोड पर हत्या हुई है। यह सड़क शहर में आकर व्यस्ततम सड़क हो जाती है जो हवाई अड्डे तक जाती है वहां सुलेम सरांय में यह हत्या हुई है वहां हजारों लोग रहे होंगे वहां कम से कम आस-पास से 15-20 जिलों की पुलिस इसलिए बुला ली जाती है कि कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो पाये, दंगा-फसाद न होने पाये। वहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस मौजूद हो उस समय मान्यवर, राजू पाल की हत्या के बाद जब मेडिकल कालेज ले जाया जा रहा था साढ़े पांच किलोमीटर की दूरी पर फिर गोली चलायी गयी। एक बार सिविल लाइन पर और दूसरी बार मेडिकल कालेज के पास उस पांच साढ़े पांच किलोमीटर में पुलिस नहीं थी, क्या विश्वास आप हमें दिलाना चाहते हैं। उस 5 साढ़े पांच किलोमीटर में घटना के बाद कोई पुलिस वाला उनकी सुरक्षा के लिए नहीं पहुंचा था।

मान्यवर, मैं 1981 में विधायक था। मैं दो मिनट का समय लूंगा। चौधरी लटूरी सिंह एमएलए थे उस समय जनतादल राजनारायन था। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करता था। मैं उनका केस करने के बाद दूसरा केस कर रहा था उस समय सूचना आई कि नीचे लटूरी सिंह के

ऊपर गोली चलायी गयी है। जैसे ही मुझे सूचना मिली तो जिस डिवीजन बेंच के पास मैं बहस कर रहा था उन्होंने मुझे अनुमति दी कि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं आपका केस मैं बाद में सुन लूंगा। तुरन्त मैंने उनको गाड़ी में बैठाला और अपने साथ लेकर निकला, मैं मुश्किल से वहां गिरजाघर है सिविल लाइन में, वहां पहुंचा था, 10-15 मिनट लगे थे एसपी सिटी वहां उपस्थित हुए, गाड़ी में आये उन्होंने कहा चिन्ता मत करिये, मैं आ गया हूं। मेडिकल कालेज पहुंचे तो वहां पर 9-10 एसओ मोटर साइकिल लिये मौजूद थे। डाक्टरों ने बताया कि 3-4 मिनट का विलम्ब हो जाता तो शायद नहीं बचते। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज से हाईकोर्ट की दूरी है ढाई किलोमीटर और यह दूरी है 5 किलोमीटर। उस समय तो एसपी सिटी, एसएसपी और तमाम लोग आ गये और इस काण्ड में साढ़े 5 किलोमीटर का सफर राजू पाल टैम्पो से करते रहे फिर भी पुलिस नहीं पहुंची। अब इस सबके बावजूद भी सीबीआई जांच न हो। आखिर चाहती क्या है सरकार ? जो दोषी हैं उसकी खोज सीबीआई करती है तो इससे जनता में आपका मान बढ़ जायेगा। मान्यवर, मैं काँग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे सारे विधायक गृह मंत्री जी के पास जायेंगे और उन्हें सी0बी0आई0 जाँच के लिये विवश करेगें। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप राजू पाल की हत्या पर सी0बी0आई0 जाँच की माँग को स्वीकार करें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं व्यवस्था इस बात पर चाहता हूँ कि सदन संविधान, प्रक्रिया संचालन नियमावली और परम्पराओं के आधार पर संचालित होता है। यह घटना बहुत दुखदायक है और हम लोग, सारा प्रदेश इस घटना से दुखी हैं। लेकिन इसी सदन के तमाम सदस्य जानते हैं कि माननीय अखिलेश सिंह, रायबरेली से निर्वाचित होकर आये हैं। एक केस में उनको मुजरिम घोषित किया गया, उन्होंने कहा कि हम उस दिन विधायक निवास में थे और पुलिस, गनर सब लोग मेरे साथ मौजूद थे। हम दोषी हैं कि नहीं, इसके लिये सी0आई0डी0 जाँच करा दीजिये। माननीय प्रमोद कुमार जी ने यह प्रश्न उठाया था और पूरे सदन ने एक स्वर से कहा कि सी0आई0डी0 जाँच हो जाय ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाय। माननीया मायावती जी नेता सदन के रूप में उस समय बैठी थीं, लेकिन उन्होनें सी0आई0डी0 जाँच मंजूर नहीं की। उस समय माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी विधान सभा अध्यक्ष थे। नेता सदन ने कहा कि सदन के कहने से कोई जाँच नहीं होगी। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने में एक मिनट से ज्यादा नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैंने उस दिन पूरी शक्ति से कहा था कि इस मामले में सी0आई0डी0 जाँच होनी चाहिये, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो गलत किया लेकिन आप वह गलती न करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने भी इस मामले पर सी0बी0आई0 जाँच की माँग उठाई है। कहीं कुछ ऐसे मुद्दे होते

हैं, जिन्हें बहुत गंभीरता से लेना चाहिये। हो सकता है कि सरकार इस बँटे हुये विपक्ष की बात को न माने और विपक्ष मजबूर हो जाय। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि इतिहास लिखा जाता है, जो हम बोलते हैं, जो हम माँग रखते हैं, वह लिखी जाती है। भगवान न करें कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो। यदि आज यह माँग नहीं मानी गयी तो यह नजीर बन जायेगी। मैं चाहता हूँ कि यह सदन दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर यह फैसला ले कि इसमें सी0बी0आई0 की जाँच होनी चाहिये। यदि आज इस सदन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया तो हम एक ऐसा इतिहास लिख देंगे जिसे पढ़ने में हमें शर्म महसूस होगी। लोगों द्वारा अनेक घटनाओं का जिक्र हुआ है, शहाबुद्दीन साहब का मामला आया, डा0 का अपहरण हुआ, मैंने सभी घटनायें उल्लेख करने से रोक दी लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि जब इलाहाबाद की घटना का जिक्र हो रहा था तो उस समय कुछ लोग मुस्करा रहें थे। मंत्री मुस्करा रहे थे तो इससे ज्यादा कोई दुखद बात नहीं है।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल जी बोल लिये हैं, सारी बातें आ गई हैं।

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने पर)

आप तो खुद मुख्य मंत्री रहे हैं, पूरी बात आ गयी है, अभी निर्णय भी तो देना है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, सारी गंभीरता को देखते हुये आपने बड़े उदारतापूर्वक काम लिया है और काफी सदस्यों को सुना भी है। कुछ सदस्य इस ओर से भी हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इधर के माननीय सदस्यों को भी अपनी बात कहने का मौका दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों ने नियम-56 में सूचना दी है, अभी तो केवल वही लोग बोलें कि यह कैसे लोक महत्व का है और अपने विचार रखें। जिस दिन इस पर चर्चा होगी उस दिन इधर के लोग भी अपनी बात कह लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर चर्चा स्वीकार हो गई हो तो उधर के लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए।

(श्री मुख्तार अंसारी अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात बाद में कह लीजिएगा।

श्री लालजी टण्डन-

अगर मैं भी चेयर की तरफ इस तरह से देखने लगूंगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, मुझे गोली लगी थी और मेरे साथ 9 लोगों को गोली लगी थी। उस वक्त डी0आई0जी0, आई0जी0 ने भी लिखा था कि जो हमला हुआ है, उसमें राजनैतिक साजिश है और इसकी जाँच करा ली जाए लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मेरे लाख अनुरोध के बावजूद भी जाँच नहीं कराई थी।...

श्री अध्यक्ष-

आप उद्धरण दे रहे हैं, जब चर्चा होगी तब आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर हमें नहीं सुना जाएगा [xxx] सदन को चलाना अकेले हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी आप अपनी बात कहें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये थे। वह किस स्थिति में बोल रहे थे, क्या उन्होंने चर्चा स्वीकार कर ली थी ? मान्यवर, मैंने अपना समय इन माननीय सदस्यों को बोलने के लिए दे दिया था, जिनका कि विधायक मारा गया है। उसी में गौर साहब का नोटिस भी है, गौर साहब इलाहाबाद के हैं जहाँ पर घटना हुई है, वहाँ के विधायकों को हमसे ज्यादा बेहतर जानकारी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, अगर इस पर चर्चा होनी है तो फिर बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, गौर साहब को सुन लीजिए।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सबको संरक्षण दें। यह इलाहाबाद शहर की घटना है। ज्यादातर घटना हमारे क्षेत्र की है।...

श्री अध्यक्ष-

जो बातें आ गयी हैं, उसकी पुनरावृत्ति आप नहीं करेंगे।

श्री रामेश्वर सिंह यादव-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों बोल रहे हैं ? अभी संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देगें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ एक मात्र भूतपूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय राम नरेश यादव जी हैं। वह बहुत कम बोलते हैं, मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप उनको अवश्य सुनें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपा-पूर्वक अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस बात का ध्यान रखियेगा कि पुनरावृत्ति न हो।

श्री रामेश्वर सिंह यादव-

मान्यवर, हमारी बात भी सुन लें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली में जो नियम हैं उसके तहत संरक्षण मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है अपराधों की बाढ़ आ गयी है। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। (कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर) सुन तो लीजिए। वर्ष 2003 में भा0दं0वि0 के अन्तर्गत कुल मामले 69,675 पंजीकृत हुये थे, वर्ष 2004 में 90,177 मामले पंजीकृत हुये, इस प्रकार 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।...

श्री अध्यक्ष-

यह आपकी नोटिस में लिखा हुआ था वह पढ़ लिया है। ....

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अगर आप इस तरह से अवरोध करेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा। आप विषय तो रखने दीजिए।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, हमें भी तो बोलने दीजिए।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वर्ष 2003 में डकैती के 134 और इस सरकार के समय में 208 डकैती के अपराध पंजीकृत हुये और इसमें 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लूट के मामले 986 वर्ष 2003 में और 1644 मामले वर्ष 2004 में पंजीकृत हुए, इस प्रकार लूट के अपराध में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वर्ष 2003 में हत्यायें 3654 और वर्ष 2004 में 4572 हत्यायें हुईं। इस प्रकार 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दहेज के लिए महिलाओं की बलि वर्ष 2003 में 909 और वर्ष 2004 में बढ़कर 1271 हो गयी, इस प्रकार 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलात्कार के वर्ष 2003 में 528 तथा वर्ष 2004 में 923 मामले पंजीकृत हुए, इस प्रकार इस अपराध में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिरौती के 73 मामले वर्ष 2003 में हुए तथा वर्ष 2004 में 156 अपराध पंजीकृत हुए। इस प्रकार 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलवा के मामलों में 134 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ....

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलिये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जिस तरह से इस सरकार के समय में अपराधों में बाढ़ आयी है, उसको रखा ह। आपके माध्यम से सत्तापक्ष के विधायकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक विधायक, विधायक होता है चाहे अपोजीशन का हो या उस तरफ का हो। अगर विधायक की हत्या होती है तो सबको संवेदनशील होना चाहिए।...

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

इनके समय में तो मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था, हमको तो बोलने का मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बैठिये, यह अच्छी बात नहीं है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 25 जनवरी को मैं इलाहाबाद में था। विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को जी0टी0 रोड पर दिन-दहाड़े हत्या की गयी। वह क्षेत्र हमारे उत्तरी विधान सभा क्षेत्र से लगता है। वहाँ पर हत्या हो जाती है। भीड़ रहती है, कई गाड़ियों में लोग आते हैं, असलहों से लैस रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी पुलिस नहीं पहुँचती है। वहाँ से जब अस्पताल ले जाते हैं तो फायर बिग्रेड के साथ पुलिस की वर्दी में मोटर साईकिल पर सवार लोगों ने हल्ला बोला और जब वह अस्पताल पहुँचे तो भी आक्रमण करने का प्रयास किया गया। क्या यही कानून-व्यवस्था है ? क्या जंगलराज नहीं है। मान्यवर, एक बात और अवगत कराना चाहूँगा मुझे निश्चित जानकारी है कि 25 मिनट तक इलाहाबाद में वायरलेस ही जाम कर दिया गया था, पूरी तरह से बन्द कर दिया गया था; जिससे कोई सूचना इधर से उधर नहीं जा पा रही थी। (विपक्ष से शेम-शेम की आवाजें आयी।) (सत्तापक्ष के सदस्यों ने झूट है, झूठ है की आवाजें लगायीं।)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक उच्च स्तरीय साजिश के साथ एक विधायक की हत्या की गयी है। वहाँ के पुलिस प्रशासन पर किसी को विश्वास नहीं है।....

इलाहाबाद का एक-एक बच्चा, कोई भी होगा, हर एक को मालूम है कि किसकी साजिश से हत्या हुयी है। पुलिस इसकी सही जांच नहीं कर सकती है। इसलिये ब0स0पा0 के सभी माननीय सदस्यों ने जैसी मांग की है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिये, इस मामले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के लिये सरकार रिकमेंड करे तभी इस मामले की सही जानकारी मिल सकेगी।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, यह लोग उस दिन कहां थे जब हाईकोर्ट के सामने अतीक भाई पर बम मारे गये थे। उस दिन इन लोगों ने सी0बी0आई0 से जांच की मांग क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष-

जब इस पर चर्चा होगी तो आपको पूरी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, हमें भी चर्चा का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप उपदेश मत दीजिये कमाल यूसुफ जी।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, हमें निकाल दीजिये।

(शोर)

(श्री कमाल यूसुफ मलिक के इस आचारण पर भा0ज0पा0 के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, आपने....

श्री अध्यक्ष-

माननीय यादव जी, एक मिनट में कहकर खत्म करें। इसे कब तक लेते रहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पहले माफी मांगे, पूरे सदन के समक्ष ऐसा आचरण किया है।

* श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, आप जिस पीठ पर बैठे हैं उसका महत्व है। आपके आदेश के बाद यदि इस तरह की स्थिति पैदा होती है, मैं समझता हूं कि सत्तापक्ष को धैर्य और शान्ति के साथ सदन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिये। यहां जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है वह अच्छी नहीं है। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, नियम-56 के लिये यह आवश्यक है कि घटना लोक महत्व की हो, अविलम्बनीय हो, निश्चित हो, यह तीनों बातें इस घटना में हैं। राजू पाल की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई है उन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं मान्यवर, यह आवश्यक है, इस पीठ से निर्देश होना चाहिये इस मामले में। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत ज्ञाता हैं, अनुभवी हैं, उनको इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिये, इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये क्योंकि यह सदन के सम्मानित सदस्य का मामला है। सम्मानित सदस्य पर पिछले 2 बार हमला हुआ। उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिये आवेदन दिया था लेकिन उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी, यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अभी-अभी कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुयी थी। वह अपने माता-पिता के अकेले लड़के रहे हैं। उनकी हत्या के बाद लाश न दिया जाना और जला दिया जाना और उसको छिपाये रखना यह उजागर करता है कि कहीं न कहीं ऊपर का हाथ है। अगर नहीं है तो भी इस तरफ ध्यान चला जाता है कि आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिससे स्थानीय पुलिस ने ऐसा काम किया। इसकी जांच चाहे सी0बी0सी0आई0डी0 से करायें या कमिश्नर से करायें या किसी दूसरी एजेन्सी से करायें लेकिन सदन के सदस्यों में चिन्ता है। सदन की भावनाओं को देखते हुये इसकी जांच सी0बी0आई0 से करानी चाहिये और यही न्यायोचित है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं पुनः एक बार इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह ग्राह्य प्रश्न नहीं है केवल ग्राह्यता के प्रश्न पर चर्चा हो रही है। जब ग्राह्य हो जाय तब सी0बी0आई0 जांच की मांग की जानी चाहिए।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है। अब क्या व्यवस्था हो सकती है। तिवारी जी, आप तो मंत्री रहे हैं आप जानते हैं।

*डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, इस विधान सभा के सदस्य श्री राजू पाल की हत्या के सम्बन्ध में बहस चल रही थी मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके प्रति एक सदस्य ने ऐसी बात कही कि आपको कहना पड़ा कि मैं सदन छोड़कर चला जाऊंगा। यह बहुत गम्भीर विषय है यह पीठ के प्रति आक्षेप है। यही नहीं एक अन्य सदस्य की टिप्पणी पर आपको कहना पड़ा कि आप मुझे उपदेश देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं। मैं उसकी गम्भीरता को समझता हूं।

डा0 विनोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पीठ से तो ऐतिहासिक निर्णय होते रहे हैं। आप सी0बी0आई0 जांच के लिए सरकार को निर्देश दें। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं। आपके इस निर्णय से अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ेगी।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपके ऊपर जो आक्षेप लगा उसको आप कितनी गम्भीरता से लेते हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं लेकिन अगर पीठ के प्रति कोई गलत टिप्पणी करे तो उसको गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं क्या उनको यह अधिकार है कि वह जिस विषय पर चाहें बोलना शुरू कर दें। विधायिका और कार्यपालिका अलग-अलग क्यों हैं। यह सही है कि मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है लेकिन तब एक ही मंत्री को जिम्मेदारी दे दें कि वह मंत्री बोले यह क्या बात कि 5-5 मंत्री एक साथ खड़े हो जायं और आपके ऊपर आक्षेप करें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

कोई आक्षेप नहीं किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन-

अगर यह सदन नियमों के अनुसार नहीं चल सकता है, तो प्रदेश का शासन नियमों के अनुसार कैसे चल सकता है। हम यहां कानून बनाने के लिए बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बैठे हैं, हम यहां प्रदेश में जो अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए बैठे हैं अगर सत्ता पक्ष के लोग अव्यवस्था पैदा करेंगे .....

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आयें।

श्री लाल जी टण्डन-

आप तो पुराने समाजवादी नेता रहे हैं। मैं आम आदमी की संवेदना के बारे में बताना चाहता हूं। फर्रुखाबाद में 17-17 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर कोई दस्यु मार देता है, कुचलकर खाद बना देता है उसके बावजूद किसी तरह की संवेदना नहीं है।

अब इससे ज्यादा क्या करना है ? कोल्हू में डालकर और पिरवा दीजिये। भट्टी में डलवाकर फुंकवा दीजिये। यही हो रहा है। मेरे क्षेत्र में यहां राजधानी में एक लड़की को घसीटकर ले गये और बलात्कार किया। मारकर पेट्रोल डालकर जला दिया और ऐसी घनी आबादी वाले इलाके में जहां पर हर घर का दरवाजा खुलता है लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है। इतने ज्यादा भयभीत हैं लोग। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लारेटो कालेज से एक बच्ची गायब हो गई, दो महीने हो रहे हैं उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। छुट्टी के समय मां बच्ची को लेने के लिये आई देखती है बच्ची आ रही होगी और इतने में बच्ची को कोई गाड़ी में घसीटकर ले गया। आज तक उस बच्ची का कहीं कोई अता-पता नहीं है। आज अपने बच्चे को घर से बाहर भेजने में हर मां डरती है। हर मां का हृदय कांपता है कि पता नहीं मेरा सपूत घर सुरक्षित वापस आयेगा कि नहीं। यह कांग्रेस वाले बैठे हैं, इनके प्रमोद कुमार जी ने तो प्रतिज्ञा ले रखी है हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिये। इसलिये यह नहीं बोलेंगे। इनकी पार्टी का कार्यकर्ता गायब हो गया, व्यापारी बाजार बन्द कर रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन यह बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पैर बन्धे हुए हैं हस्तिनापुर के सिंहासन से।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नाम लिया गया है। इन्होंने मेरा नाम लिया है।

श्री लाल जी टण्डन-

हां नाम लिया है। अगर यह नाम लेने लायक नहीं था तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता विरोधी दल को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह तो आपके मुस्तकिल समर्थक हैं और आपके समर्थन में ही बोलेंगे और इसीलिये खड़े हुए हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। एक आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर। आरोप पर सफाई देने का अधिकार तो सदस्य को होता है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मै हस्तिनापुर से बन्धा हुआ हूं। मैं उस विषय को यहां पर इसलिये

नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मैंने इस सदन की परम्पराओं का पालन किया है। फर्रुखाबाद का मामला हमारी माननीय सदस्य लुईस खुर्शीद जी के क्षेत्र का है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं लेकिन सम्मानित विधायक राजूपाल की हत्या का मामला सबसे महत्वपूर्ण है इसलिये सब घटनाओं में उसको वरीयता देते हुए अपने को सीमित रखा। जहां तक सवाल उठाने का प्रश्न है, मैं इतना कह सकता हूं कि यहां पर सब हमारे मित्र हैं शत्रु कोई नहीं हैं टण्डन जी निश्चित रूप से मेरे मित्र हैं लेकिन राजनीतिक मित्र आपके हैं। 1977, 1989 में आप दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। यह इतिहास किसी से छिपा नहीं है।

श्री लाल जी टण्डन-

यह तो अनैतिकता है कि राजनीति में विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। अब जब इस तरह से होगा तो सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था चकनाचूर हो रही है, ध्वस्त हो रही है। अगर समर्थन करना है तो खुल कर करें और अगर विरोध करना है तो खुलकर विरोध करें अन्यथा जनता का आक्रोश सहने के लिये तैयार रहें।

श्री प्रमोद कुमार-

नेता विरोधी दल अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो मैं उन्हें याद दिला देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करें ताकि आगे बढ़ा जाय। दो घन्टे इस पर चर्चा हो गई है।

श्री लाल जी टण्डन-

मैंने सूचना दी थी लेकिन प्राथमिकता इसको दे दी थी कि और लोग भी इस पर बोल दें। मान्यवर, तीन सिटिंग विधायक मारे गये यह मामूली बात हो रही है। (व्यवधान)

आप अनुमति दें तो मैं असलियत कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

काफी चर्चा हो गई, कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोलना है बात खत्म हो गई है। अब संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लिया जाये। माननीय नेता विरोधी दल कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होगी तो पूरा का पूरा समय है अगर कुछ कहना हो। अब संसदीय कार्य मंत्री को सुनकर निर्णय लेने दें।

श्री लालजी टण्डन-

इतना हमारे मित्रों ने समय खराब कर दिया आपने समय दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपना समय सबको दिया है। स्वेच्छा से दिया है इसलिए अब समय मांग नहीं सकते हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

मैं जो यहां कह रहा हूं वह रेलिवेंट बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कल राज्यपाल महोदय का भाषण होना है इन सब तथ्यों पर पूरा समय मिलना है आज इस पर निर्णय हो जाए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनकर, एक और दूसरा मामला नियम 56 का है और तीन बजने वाला है।

श्री लालजी टण्डन-

विपक्ष में लोकतंत्र का विषय नहीं होता है सारा विपक्ष मांग कर रहा है एक सिटिंग विधायक की हत्या किस तरह से हुई। सब तरह से परिस्थितियां बताई गईं इसकी सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए। इसमें ऐसी क्या बात है आपको निर्देश देना चाहिए। नेता सदन नहीं हैं, वह होते तो हम कहते कि वह आश्वासन दें और जो विधायकों की हत्या हुई है उसको भी इसमें शामिल कर दिया जाए। मैं चाहता हूं हत्याओं का दौर है इसकी शीशे की तरह, आईने की तरह पारदर्शी रिपोर्ट आए। मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री रामेश्वर सिंह यादव-

मैं राजू पाल की हत्या से हटकर बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं ? संसदीय कार्य मंत्री को बोलने दीजिए।

श्री रामेश्वर सिंह यादव-

मान्यवर, एक बात कहनी है इलाहाबाद के लटूरी सिंह पर हमला हुआ मैं उसका चश्मदीद गवाह था।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी को बोलने दें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी ने गम्भीर प्रश्न उठाया है। इसकी गम्भीरता को इस तरह से आंका जा सकता है नेता सदन ने बात कही, कड़े शब्दों में इसकी निन्दा की है और आपको यह भी याद होगा आज निधन के निर्देश इस सदन में हो रहे थे तो नेता बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से इस मामले को रखा, मेरा भी काफी लम्बा तजुर्बा है इस सदन में आने का, इस तरह से निधन के निर्देश नहीं रखे गये। पूरे वाक्ये का बयान, उसकी निन्दा, कानूनी पहलू, उसके राजनीतिक पहलू इस पर विस्तार से चर्चा हुई लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि मामला बहुत गम्भीर है हत्या हुई है और हत्या मान्यवर, जाहिर है कि एक विधायक की हत्या हुई है और हम सब विधायकगण यहां बैठे हैं इसलिए यह बहुत की गम्भीरतम् है क्योंकि हत्या तो एक बहुत गम्भीर अपराध है और यह हमारे आई0पी0सी0 में सबसे बड़ी दफा है और सबसे बड़ी सजा भी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति और वह व्यक्ति विधायक हो तब तो यह और गम्भीर हो जाता है। इस बात से कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। हालांकि यह बात बार-बार सदन में आई, इधर के साथियों ने मुकाबलन कहा, फूलन देवी का जिक्र किया, एक और

व्यक्ति का जिक्र आया जिसकी हत्या राजा के दरवाजे पर हुई, मंजूर अहमद की लेकिन ऐसे व्यक्ति की हत्या पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, किसी भी तरह की जांच नहीं हुई।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप भी सुनें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मुकाबला नहीं हो रहा है लेकिन सरकारी कामकाज के तरीके जो उस वक्त रहे, संवेदनहीनता रही इस हद तक कि राजा के दरवाजे पर हत्या हो गई। उसका मात्र जिक्र यहां आया था, हम उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और न ही उससे इसे जोड़कर इसकी अहमियत को कम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी बातें कही गई, हुकुम सिंह जी ने कहा, उनके पास भी आंकड़े हैं, मैंने भी कहा था कि मेरे पास भी आंकड़े हैं। जाहिर है कि वह आंकड़े भी सरकारी तौर पर मिलते हैं और हमें भी मिलते थे।

श्री लालजी टण्डन-

नहीं मिलते हैं, मैंने अनुरोध किया था, थोड़े दिन से परम्परा बन गयी है कि कोई आंकड़े मांगने पर नहीं मिले हैं, विशेष रूप से जो मामले गम्भीर होते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं तो कभी-कभी वह सही नहीं होते हैं। इसलिए आप इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आप नेता विरोधी दल हैं, आपने अपने साथी के आंकड़े को गलत बता दिया लेकिन मैं सही आंकड़े बता रहा हूं इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2002 के मुकाबले 2004 में डकैती में 26 प्रतिशत, लूट में 12 प्रतिशत, हत्या में 11 प्रतिशत, बलवा में 15 प्रतिशत, गृह-भेदन में 14 प्रतिशत, रोड होल्डिंग में 14 प्रतिशत, दहेज हत्या में 10 प्रतिशत, बलात्कार में 2 प्रतिशत तथा आई0पी0सी0 के कुल अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी आई है। मान्यवर, इन आंकड़ों पर भरोसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यह अपराध दर्ज हुए हैं। यह सरकार सत्ता में जैसे ही आयी, जैसे ही समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनी, इस नीति की घोषणा कर दी गई लेकिन पिछली सरकार की नीति यह थी कि अपराध दर्ज न किए जायें और उन अधिकारियों को सजा दी जाती थी जो उन्हें दर्ज किया करते थे और उसके बहुत से सबूत इस सदन में पेश किए गये हैं। लेकिन इस सरकार ने इसके विपरीत यह आदेश दिये कि जो अपराध दर्ज नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाई होगी। इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह अपराध घटी हुई सूरत में हैं, जब सारे अपराध लिखे गये हैं। इसलिए यह सही नहीं है कि अपराध बढ़े हैं बल्कि 12 प्रतिशत अपराधों की संख्या कम हुई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस हत्या के बाद एक टीम का गठन कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की, और यह भी कहना बिल्कुल 100 फीसदी उचित नहीं होगा कि सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। एक गनर जो सारे विधायकों को मिलता है वह तो था ही लेकिन दिनांक 18-12-04 को उनके अनुरोध पर एक और गनर और उनके आवास पर भी पुलिस सुरक्षा के लिए लगा दी गयी थी। 25 जनवरी को हत्या हुई और अगले दिन 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस था। उसके मद्देनजर सुरक्षा को सामने रखते हुए कुछ यकीनन कड़े कदम

उठाये गये। भारी मन से कुछ कदम उठाये गये। हो सकता है कि कुछ बातें हों जिनके लिए मौर्या जी ने कहा कि नहीं होनी चाहिए थी। 26 जनवरी का दिन सामने था। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य से परे है कि रिश्तेदारों को उनकी डेडबाडी नहीं दी गयी या अंतिम संस्कार में उनके रिश्तेदार नहीं थे। इसका प्रमाण यह है कि उसकी वीडियोग्राफी दी जा सकती है जो उस समय तैयार की गयी थी। पूरे सम्मान और धार्मिक रीति-रिवाज के साथ उनका अन्तिम संस्कार हुआ है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज सहित बसपा के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी मांग है कि वीडियोग्राफी प्रस्तुत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी आप सुनें तो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियोग्राफी प्रस्तुत की जाये। अगर उसमें उनकी पत्नी, माता हों तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मान्यवर, हम यह मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच की जाये।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह भी सच है कि उसकी वीडियोग्राफी हुयी है। मैं शायद हल्के से कह रहा हूं अगर भारी तरीके से बोलूं तो शायद मौर्या जी भरोसा कर लें। उसकी वीडियोग्राफी हुयी है। सम्बन्धी लोग शरीक हुए है। इसके अलावा एक सवाल यह हुआ था, हुकुम सिंह जी ने कहा था कि फर्जी इन्काउंटर किये जाते हैं अगर इन्काउंटर की जांच हो जाती तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आप संसदीय कार्यमंत्री, मंत्री रहे हैं। जो भी इन्काउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रेट्रियल इन्क्वारी होती है। हर इन्क्वारी में मजिस्ट्रेट्रियल जांच होती है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होती है। बुनियादी सवाल यह है कि इस हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई क्या हुई ? शासन-प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा किया। मान्यवर, रिपोर्ट धारा-302 के तहत दर्ज हुई है। मुल्जिमान के नामों के साथ दर्ज हुयी है। ऐसा नहीं कहा कि देखने पर पहचान लिया जाएगा। फलां-फलां लोगों ने हत्या की, उनके चश्मदीद गवाह हैं। मैंने भी काला कोट पहना है आखिर यह समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी चीज जांच की बाकी है। एक हत्या हुई, फलां-फलां हत्यारे हैं, चश्मदीद गवाहों ने देखा है। उनकी रिपोर्ट दर्ज है। जिनको चिन्हित किया गया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो मान्यवर, कानून ने, शासन ने, प्रशासन ने जो हमारी प्रणाली है, जो न्याय प्रणाली है। अब अदालत का फैसला बाकी है, मुल्जिमान जेल चले गये हैं, सरकारी वकील भी मजबूती से मुकदमा लड़ेंगे, आपका सहयोग रहेगा, जो मुल्जिम होंगे उनको सजा मिलेगी। हम इसके पक्ष में हैं। सरकार पूरी तरह कड़ाई के साथ कानून की रस्सी को मजबूती से पकड़कर चल रही है। मान्यवर, यह कहना कि जंगलराज है, जनता में आ जायें। मान्यवर, अभी कल की ही बात है-यह रहा मैनपुरी का चुनाव, कल की ही बात है- यह रहा अकबरपुर का चुनाव, कल की ही बात है-यह रहा गाजियाबाद का चुनाव। अभी तो जीते

हुए विधायकों और सांसदों का ठीक से स्वागत भी नहीं हुआ है, फूल तक नहीं मुर्झाये हैं। अगर आपको ऐसी ही ख्वाइश है तो आने वाले चुनाव में इस सरकार की क्या प्रतिष्ठा है जनता में उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब वह चुनाव भी दूर नहीं है। दो साल, ढाई साल, तीन साल में चुनाव भी होने वाले हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कानून ने पूरी तरह से काम किया, मुल्जिमान की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और राजू पाल जी के परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए यह सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राहय कर दिया जाय। [इसके विरोध में ब0स0पा0 के श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज आदि अधिकांश सदस्यगण नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये]

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक जानकारी दे दूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया या कार्यवाही हो रही है लेकिन आरोप यह है कि इस हत्या के पीछे उच्चस्तरीय षडयंत्र है और उसका खुलासा पुलिस नहीं कर सकती। जहाँ वायरलेस जाम कर दिया गया तो कैसे काम हो सकता है इसलिए सी0बी0आई0 की जाँच की माँग की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण ले लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

जब चर्चा होगी तो स्पष्टीकरण कर लीजियेगा। क्या आप इसमें चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। प्रस्तुत सूचना पर मैंने माननीय नेता विरोधी दल अन्य माननीय सदस्यों एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, पिछले सत्र में भी कानून व्यवस्था पर दो घण्टे की चर्चा स्वीकार हुई थी, जो नहीं हो पायी थी। अतः मैं इस विषय पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूँ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यगण प्रतिवेदक की मेज पर चढ़कर नारे लगाने लगे तथा इयर फोन भी तोड़ दिया)

आप लोग वापस जायें। अब मैं मानने वाला नहीं हूँ। जिस समय इसपर चर्चा होगी उस समय अपनी बात रख दीजियेगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन की फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे और राजू पाल हत्या काण्ड की सी0बी0आई0 जाँच कराने की माँग करते रहे।) मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आप लोग शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर जाकर बैठें। आपने अपनी पूरी बात कह ली है। मैंने आपकी चर्चा की माँग को स्वीकार कर लिया है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

आप हमारे माननीय विधायक राजू पाल हत्याकाण्ड की सी0बी0आई0 जांच कराने के आदेश दे दें, हम लोग अपनी जगह पर चले जाएंगें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है और जिस दिन इस पर चर्चा होगी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां आयेंगे, उस समय उनके समक्ष आप अपनी बात कह लीजिएगा।

यह जो आप लोगों ने रिपोर्टर्स टेबिल पर तोड़-फोड़ की है, वह ठीक नहीं है। आप लोग विधायक हैं, ऐसे कार्य आप लोगों को नहीं करने चाहिए। (सदन के फ्लोर पर खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे)

जो मेरे अधिकार में नहीं है, वह घोषणा मैं कैसे कर सकता हूँ ? जिस दिन इस पर चर्चा होगी उस दिन आप अपनी बात माननीय मुख्य मंत्री के सामने रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने स्थान पर वापस जायें। अपनी-अपनी सीटों पर जाकर जो कहना हो वहां पर जाकर कहिये।

श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुये (सदन के फ्लोर पर खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

मैं सी0बी0आई0 से जांच कराने के लिए आदेश नहीं दे सकता हूँ।

(इसी मध्य सदन के फ्लोर पर खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण में से कुछ सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे) देखिये, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी सीटों पर चले जायें, मुझे बाध्य न करें। आपकी सारी बातें सुन ली गयी हैं, आपकी सारी बातें यहां आ गयी हैं। जब इस पर चर्चा होगी तो आप सी0बी0आई0 जांच की बात करियेगा।

श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध को अनसुनी करते हुए (सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 03 बजकर 07 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 22 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया है। 3 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही बहुजन समाज पार्टी के वेल में मौजूद सदस्य खड़े होकर नारा लगाते हुए प्रतिवेदक की मेज पर चढ़ गए)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री अध्यक्ष के अनुरोध की अनसुनी करते हुये सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 11 फरवरी, 2005 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

*श्री शहज़िल इस्लाम-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री छोटेलाल यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2005 को नियम-51 के अन्यर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद और श्रीमती अमीता सिंह की जो जनपद गाजीपुर में कार्यरत डॉ0 अजय अग्रवाल के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री राम शंकर पाल की जो जनपद उन्नाव के बांगरमऊ स्थित 36 ग्रामों के बिजली तार चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जो जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम की विद्युत आपूर्ति हरदोई के विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना डॉ0 सुशील चौधरी की जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के दैनिक वेतनभोगी मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पाँचवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जो जनपद बलिया के एकड़ी, नगसर एवं कुरेजी में पानी की टंकी के बनाये जाने हेतु शेष धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जो जनपद देवरिया के नगर पंचायत मझौलीराज के अध्यक्ष के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने के उपरान्त भी वित्तीय अधिकार समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई तथा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम भावलखेड़ा के अनुज कुमार को बन्दूक से मारने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद में बी0एड0 एवं विधि विषय खोले जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की जो जनपद गाजीपुर स्थित सादात में गंगी पुल के निर्माण के लिए नाबार्ड से स्वीकृत आवंटित धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री घूरा राम की जो उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को नियमित नियुक्ति न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

1. श्री इरशाद खाँ
2. श्री सोमारू राम सरोज
3. डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
4. श्री राजेश कुमार गौतम
5. श्री राम करन आर्य
6. मो0 मुजतबा सिद्दीकी
7. श्री उमाशंकर कुशवाहा
8. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
9. श्री नवाब सिंह नागर
10. श्री रणवीर राणा
11. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह
12. श्री राम मगन

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 04 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊः

दिनांक 15 फरवरी, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 17 विधान सभा (44)-19-5-2005-813 (डी0टी0पी0)।